# पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश

© NCERT not to be republished

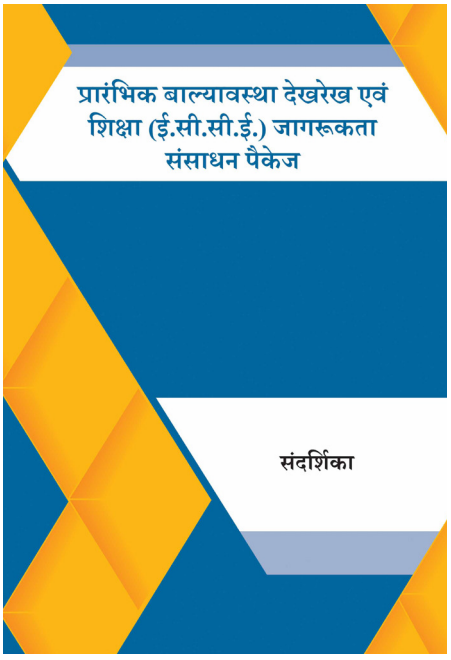


**प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई) जागरूकता संसाधन पैकेज**

₹ 76.00/pp.76

Code— 13190

ISBN— 978-93-5292-139-3

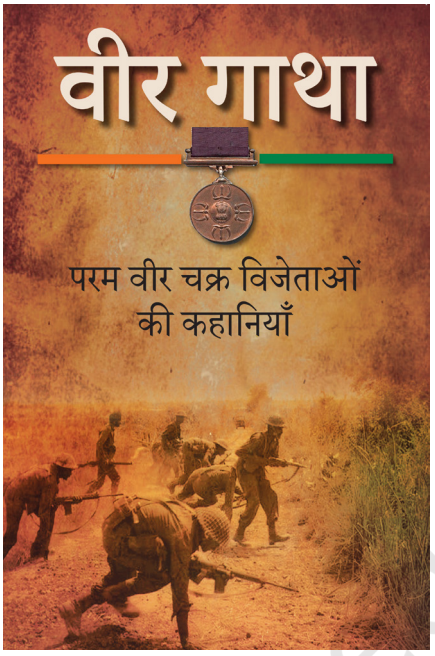


**वीर गाथा**

₹ 100.00/pp.182

Code— 21139

ISBN— 978-93-5292-153-9

**लिखने की शुरूआत एक संवाद**

₹ 165.00/pp.132

Code— 32107

ISBN— 978-93-5007-268-4

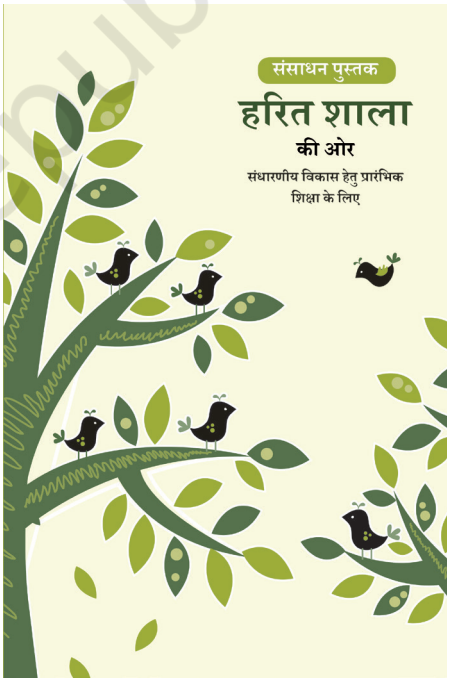


**हरित शाला की ओर**

₹ 115.00/pp.163

Code— 13150

ISBN— 978-93-5007-829-7

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

© NCERT not to be republished

# पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश

© NCERT not to be republished

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

**प्रथम संस्करण**
*दिसंबर 2019 पौष 1941*

**PD 2T RPS**

*© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2019*

**₹ 70.00**

*एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।*

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 से प्रकाशित और स्टालियन ग्राफ़िक्स प्रा.लि., बी–3, सेक्टर–65, (ग्राउंड फ्लोर) नोएडा – 201 301 (उ.प्र.) द्वारा मुद्रित।

**ISBN 978-93-5292-216-1**

**सर्वाधिकार सुरक्षित**

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

**एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय**

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
**नयी दिल्ली 110 016** फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
**बेंगलुरु 560 085** फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
**अहमदाबाद 380 014** फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पिनहटी
**कोलकाता 700 114** फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
**गुवाहाटी 781021** फ़ोन : 0361-2676869

**प्रकाशन सहयोग**

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनुप कुमार राजपूत*

मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*

मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*

*मुख्य व्यापार प्रबंधक* : *बिबाष कुमार दास*

*संपादन सहायक* : *ऋषिपाल सिंह*

सहायक उत्पादन अधिकारी : *अतुल सक्सेना*

**आवरण**

*डी.टी.पी. सेल, डी.ई.ई.*

© NCERT not to be republished

रमेश पोखरियाल 'निशंक'
*Ramesh Pokhriyal 'Nishank'*

सत्यमेव जयते

मंत्री
मानव संसाधन विकास
भारत सरकार
MINISTER
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA

# संदेश

पिछले दशक में विभिन्न विषयों द्वारा इस बात के शोध-साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में निवेश द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता, भावी अर्जन और जीवन प्रत्याशा में सार्थक रूप से सुधार हुआ है। शुरुआती वर्षों में सीखने और विकास की स्वास्थ्यकर आदतों से परिचय, समग्र शिक्षा की सुदृढ़ नींव रखता है और समाज में सार्थक योगदान देने की उनकी क्षमताओं का विकास करता है।

विभिन्न शोधों के निष्कर्षों, बाल-विकास के सिद्धांतों और सरकार की पहलों के आधार पर एन.सी.ई.आर.टी. ने विषय-विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शिक्षकों और अध्यापक-शिक्षकों से सुझाव प्राप्त कर पूर्व प्राथमिक विद्यालय के लिए दिशानिर्देशों का विकास किया है। इस दस्तावेज़ को हितधारकों, एस.सी.ई.आर.टी. और राज्य शिक्षा विभागों की टिप्पणियों और प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया। सभी संगत सुझावों को दस्तावेज़ में सम्मिलित किया गया।

पूर्व प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं जो सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, नियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधकों के लिए हैं। ये दिशानिर्देश गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम चलाने हेतु अनिवार्य तथा वांछनीय भौतिक आधारभूत संरचना, शिक्षक/कर्मचारियों की योग्यता और प्रशिक्षण, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, रिकॉर्ड और रजिस्टरों तथा मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के बीच प्रशासन हेतु समन्वयन तथा अभिसरण की आवश्यकता पर बल देते हैं।

यह दस्तावेज़ विद्यालय-पूर्व समग्र और आनंददायक पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु दिशानिर्देशों की लंबे समय से अनुभूत की जा रही ज़रूरत को पूरा करता है। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य व्यक्तिगत संभावनाओं को अधिकतम करना है ताकि उससे जीवन पर्यंत सीखने के सुदृढ़ आधार को प्राप्त किया जा सके।

मैं आशा करता हूँ कि यह दिशानिर्देश बच्चों को गुणवत्तापूर्ण विद्यालय-पूर्व अनुभव प्रदान करने में विद्यालय पूर्व शिक्षकों, अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों, शैक्षिक नियोजकों और राज्य कार्मिकों को दिशा प्रदान करेगा।

(रमेश पोखरियाल 'निशंक')

स्वच्छ भारत

**सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा।**

Room No. 3, 'C' Wing, 3rd Floor, Shastri Bhavan, New Delhi-110 115
Phone : 91-11-23782387, 23782698, Fax : 91-11-23382365
E-mail : minister.hrd@gov.in

© NCERT not to be republished

© NCERT
not to be republished

# आमुख

बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। शोधों से ज्ञात हुआ है कि सीखने के गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक अनुभवों का विद्यालय में समायोजन और बाद के वर्षों की शिक्षा एवं सीखने के स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के मस्तिष्क का तीव्रता से विकास होता है, उनकी सामाजिक और व्यक्तिगत आदतें तेज़ी से पनपती हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव पड़ती है।

प्रारंभिक अवस्था में बच्चों के सीखने के स्तर में बढ़ोत्तरी करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण अनुभव प्रदान किये जाएँ। गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना संधारणीय विकास के लक्ष्य (Sustainable Development Goals) 2030 का भी एजेंडा है। इन वर्षों में हर बच्चे के लिए भावात्मक रूप से सहायक और प्रेरक खेलयुक्त परिवेश प्रदान करने के लिए निवेश करना अहम है। यह हर बच्चे का अधिकार ही नहीं, वरन जीवन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करने का माध्यम भी है।

इस संदर्भ में, बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षकों, प्रशासकों, नीति नियोजकों और अन्य हितधारियों की मदद करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् दो दस्तावेज़ों *पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशानिर्देश* और *पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या* के साथ आगे आयी है।

यह दिशानिर्देश आधारभूत-संरचना, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की योग्यताएँ और वेतन, प्रवेश प्रक्रिया और रखे जाने वाले रिकॉर्ड और रजिस्टर, देख रेख और निरीक्षण, समुदाय और अभिभावकों के साथ समन्वयन और अभिसरण की कार्यविधि और महत्व के लिए मापदंडों को प्रस्तुत करते हैं।

कक्षा 1 से पहले तीन वर्षों के पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या तैयार की गई है, जो पूर्व-प्राथमिक स्तर 1, 2 तथा 3 के लिए लक्ष्यों, मुख्य संकल्पनाओं/कौशलों, शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा आरंभिक सीखने के प्रतिफलों को उजागर करती है। यह एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की योजना बनाने, कक्षा-कक्ष के व्यवस्थापन और प्रबंधन, आकलन तथा अभिभावकों एवं समुदाय के साथ साझेदारी बनाने के तरीके भी सुझाती है।

ये दस्तावेज़ विषय विशेषज्ञों, शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों के सामूहिक चिंतन के प्रतिफल हैं। ये सुझावात्मक हैं और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा अन्य हितधारकों द्वारा आवश्यकतानुसार अपनाये या रूपांतरित किये जा सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन दोनों दस्तावेज़ों को विकसित करने का दायित्व सँभाला है। इससे जुड़े विभाग के प्रत्येक सदस्य के प्रयासों की सराहना की जाती है।

© NCERT not to be republished

इन दस्तावेज़ों को सभी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राज्य शिक्षा विभागों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया गया। इन दोनों दस्तावेज़ों पर उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किये गए। हम उन सभी के आभारी हैं, जिन्होंने अपने सुझाव दिए। इस दस्तावेज़ की गुणवत्ता और उपयोगिता के सुधार हेतु टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत है।

हृषिकेश सेनापति
*निदेशक*
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

*नयी दिल्ली*
*अक्टूबर 2019*

© NCERT not to be republished

# प्रस्तावना

यह दस्तावेज़ 3–6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कक्षा 1 से पूर्व तीन वर्षीय पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए एक प्रगतिशील तरीके से तैयार किया गया है। यह दस्तावेज़ आधारभूत-संरचना, स्टाफ और विभिन्न प्रक्रियाओं के मापदंडों को उजागर करता है, जिनका पालन करना गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम लागू करने के लिए आवश्यक है।

इस दिशानिर्देश पुस्तिका को 8 अध्यायों में बाँटा गया है—

**अध्याय 1** पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा, दूरदर्शी लक्ष्यों और उद्देश्यों पर चर्चा करता है और प्राथमिक कक्षाओं के साथ इसके संयोजन के महत्व को भी उजागर करता है।

**अध्याय 2** एक गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए अनिवार्य तथा वांछनीय आधारभूत-संरचनाओं जैसे स्थिति, खेल तथा गतिविधि के क्षेत्र, भीतर उपलब्ध स्थान, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सुविधाएँ, स्टाफ, पीने और हाथ धोने के लिए पानी की सुविधा, शौचालयों की सुविधाएँ, सोने/विश्राम की सुविधा, परिवहन सुविधा, भंडारण स्थान तथा बाधारहित परिवेश को उजागर करता है।

**अध्याय 3** आवश्यक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ, उनकी योग्यताओं तथा वेतन संरचना, पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के लिए सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण/व्यावसायिक विकास, नेतृत्व विकास और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों पर चर्चा करता है।

**अध्याय 4** पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया अर्थात प्रवेश की आयु और प्रवेश प्रक्रिया को उजागर करता है।

**अध्याय 5** पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या, उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की अवधि और पाठ्यचर्या, उसकी मुख्य संकल्पनाओं, शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं, आरंभिक सीखने के प्रतिफलों, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण के माध्यम, आकलन, अभिभावकों की भागीदारी और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा करता है।

**अध्याय 6** सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर चर्चा करता है। यह भीतरी और बाहरी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा सावधानियों, पहचान-पत्रों और विद्यालय से ले जाने तथा छोड़ने की सुविधाओं, आपातकाल से निपटने, बाल दुर्व्यवहार और अधिकारों पर चर्चा करता है।

**अध्याय 7** रिकॉर्ड और रजिस्टर जो पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बनाकर रखे जाने हैं, जैसे प्रवेश रिकॉर्ड, प्रगति रिकॉर्ड, स्कूल में आने वाले बाहरी व्यक्तियों का रिकॉर्ड, शिक्षक डायरी, फ़ीडबैक रिकॉर्ड, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के उपस्थिति रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर आदि पर ध्यान केंद्रित करता है।

© NCERT not to be republished

**अध्याय 8** कार्यक्रम के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण के लिए विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के बीच प्रशासन हेतु समन्वयन तथा अभिसरण की आवश्यकता पर बल देता है।

यह दस्तावेज़ गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का व्यापक चित्र उपलब्ध कराता है। हम आशा करते हैं कि यह पूर्व-प्राथमिक विद्यालय दिशानिर्देश पुस्तिका कक्षा में एकसमान वातावरण उत्पन्न करने में शिक्षकों को मदद करेगी जो अंतत: बच्चों के खेलने, सीखने तथा प्रसन्न रहने में सहायक होगा। यह आशा की जाती है कि यह दिशानिर्देश पुस्तिका शिक्षकों को विकास हेतु उपयुक्त गतिविधियों के नियोजन में मार्गदर्शन एवं मदद देगी।

**सुनीति सनवाल**
*सदस्य समन्वयक*

© NCERT not to be republished

# निर्माण समिति

## सलाहकार

हृषिकेश सेनापति, *निदेशक*, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

## सदस्य

अमीता टंडन, *सलाहकार और परामर्शक*, ई.सी.डी., यूनिसेफ, नयी दिल्ली
आशा सिंह, *प्रोफ़ेसर (सेवानिवृत्त)*, लेडी इरविन कॉलेज, नयी दिल्ली
ए.के. राजपूत, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली
जी.सी.उपाध्याय, *प्रोफ़ेसर (सेवानिवृत्त)*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली
पद्मा यादव, *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प.,नयी दिल्ली
रीतू चन्द्रा, *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली
रेखा शर्मा सेन, *प्रोफ़ेसर,* इग्नू, नयी दिल्ली
रोमिला सोनी, एसोसिएट *प्रोफ़ेसर*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली
विनीता कौल, *प्रोफ़ेसर एमेरिटस*, अंबेडकर विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली

## सदस्य समन्वयक

सुनीति सनवाल, *प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

# आभार

परिषद् डॉ. के.के. शर्मा, *प्राचार्य* (सेवानिवृत्त), शिक्षा कालेज, अजमेर; का हिंदी अनुवाद के लिए एवं कुसुम लता अग्रवाल, *भाषा अध्यापिका* (सेवानिवृत्त), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली; सोनिया मेंहदीरत्ता, *अध्यापिका*, हैप्पी मॉडल स्कूल, जनकपुरी, दिल्ली; का इस दस्तावेज़ को अंतिम रूप देने के लिए आभार व्यक्त करती है।

इस पुस्तका के निर्माण के विभिन्न चरणों में सहयोग के लिए परिषद् नरेश यादव, *संपादक* (सेवानिवृत्त), रा.शै.अ.प्र.प.; अक्सा चौधरी, *जे.पी.एफ*; नितिन तंवर, किशोर सिंघल, *डी.टी.पी. ऑपरेटर*; चंचल रानी, सपना विश्वास, *टाइपिस्ट*; तथा प्रारंभिक शिक्षा विभाग, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली के प्रति आभार प्रकट करती है।

परिषद्, अतुल मिश्र, *सहायक संपादक* (संविदा); सुरेन्द्र कुमार, *डी.टी.पी.*, गंधर्व, *डी.टी.पी.* (संविदा) का इस पुस्तिका को अंतिम रूप देने के लिए आभार व्यक्त करती है।

© NCERT not to be republished

# विषय सूची


| | | |
|---|---|---|
| आमुख | | *v* |
| प्रस्तावना | | *vii* |
| **अध्याय 1** | **परिचय** | **1-4** |
| 1.1 | यह दिशानिर्देश किसके लिए हैं? | 2 |
| 1.2 | पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की परिभाषा | 2 |
| 1.3 | पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना | 2 |
| 1.4 | पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य | 3 |
| 1.5 | पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य | 3 |
| 1.6 | पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान मॉडल | 3 |
| 1.7 | प्राथमिक कक्षाओं के साथ संयोजन (लिंकेज) | 4 |
| **अध्याय 2** | **भौतिक आधारभूत संरचना** | **5-9** |
| 2.1 | स्थान | 5 |
| 2.2 | खेल और गतिविधि क्षेत्र (बाह्य और आंतरिक क्षेत्र) | 5 |
| 2.3 | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) के लिए सुविधाएँ | 8 |
| 2.4 | स्टाफ के लिए सुविधाएँ | 8 |
| 2.5 | पीने के पानी और हाथ धोने के लिए सुविधाएँ | 8 |
| 2.6 | शौचालय सुविधा | 8 |
| 2.7 | सोने/विश्राम की सुविधाएँ | 9 |
| 2.8 | परिवहन सुविधा | 9 |
| 2.9 | भंडारण स्थान | 9 |
| 2.10 | बाधारहित परिवेश | 9 |
| **अध्याय 3** | **पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ** | **10-17** |
| 3.1 | सुझावित स्टाफ, योग्यता और वेतन स्वरूप | 10 |
| 3.2 | पूर्व-प्राथमिक शिक्षक | 11 |
| 3.3 | पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व | 13 |
| **अध्याय 4** | **प्रवेश प्रक्रिया** | **18** |
| 4.1 | प्रवेश के लिए आयु | 18 |
| 4.2 | प्रवेश प्रक्रिया | 18 |
| **अध्याय 5** | **पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या** | **19-23** |
| 5.1 | पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि | 19 |
| 5.2 | पाठ्यचर्या— मुख्य संकल्पनाएँ, शिक्षण प्रक्रियाएँ और आरंभिक सीखने के प्रतिफल | 20 |


© NCERT not to be republished

5.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम 21
5.4 आकलन 22
5.5 अभिभावकों की भागीदारी 22
5.6 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रौद्योगिकी 22

**अध्याय 6 सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण 24-28**
6.1 सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ 24
6.2 स्वास्थ्य, स्वच्छता (हाइजीन) और पोषण 27

**अध्याय 7 रिकॉर्ड, रजिस्टर और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर 29-31**
7.1 रिकॉर्ड 29
7.2 रजिस्टर 30
7.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर 31

**अध्याय 8 समन्वयन और अभिसरण 32-34**
8.1 प्रशासनिक 32
8.2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 33
8.3 निगरानी और देखरेख 33

**संदर्भ** 35

**परिशिष्ट**
परिशिष्ट I— प्रस्तावित खेल सामग्री और उपकरणों की सूची 36
परिशिष्ट II— आपातकालीन संपर्क बनाए रखने के लिए नमूना 38

© NCERT not to be republished



0_Prelims.indd 12 5/28/2020 2:56:29 PM

# आदिवर्णिक शब्द (ACRONYMS)

| | |
|---|---|
| ए.डब्ल्यू.टी.सी. **(AWTC)** | आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र |
| बी.आर.सी. **(BRC)** | ब्लॉक संसाधन केंद्र |
| सी.सी.टी.वी. **(CCTV)** | क्लोज़्ड-सर्किट टेलीविज़न |
| सी.डी.पी.ओ. **(CDPO)** | बाल विकास परियोजना अधिकारी |
| सी.आर.सी. **(CRC)** | क्लस्टर संसाधन केंद्र |
| पी.डब्ल्यू.डी. **(PWD)** | अक्षमता वाले व्यक्ति |
| डी.ई.ओ. **(DEO)** | ज़िला शिक्षा अधिकारी |
| डी.एल.एड. **(D.El.Ed.)** | डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन |
| डाइट **(DIET)** | ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |
| डी.पी.एस.ई. **(DPSE)** | डिप्लोमा इन प्री-स्कूल एजुकेशन |
| ई.सी.डी. **(ECD)** | प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास |
| ई.सी.ई. **(ECE)** | प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा |
| ई.सी.सी.ई. **(ECCE)** | प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा एवं देखभाल |
| जी.सी.ई.आर.टी. **(GCERT)** | गुजरात शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् |
| आई.सी.डी.एस. **(ICDS)** | एकीकृत बाल विकास सेवाएँ |
| आई.सी.टी. **(ICT)** | सूचना और संचार प्रौद्योगिकी |
| इग्नू **(IGNOU)** | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय |
| एम.एच.आर.डी. **(MHRD)** | मानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| एम.एल.टी.सी. **(MLTC)** | मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र |
| एन.सी.ई.आर.टी. **(NCERT)** | राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् |
| एन.सी.टी.ई. **(NCTE)** | राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् |
| एन.ई.आर.आई.ई. **(NERIE)** | पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान |
| एन.आई.ओ.एस. **(NIOS)** | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान |
| एन.आई.पी.सी.सी.डी. **(NIPCCD)** | राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान |
| एन.जी.ओ. **(NGO)** | गैर-सरकारी संगठन |
| एन.एस.क्यू.एफ. **(NSQF)** | राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा |
| पी.टी.एम. **(PTM)** | अभिभावक-शिक्षक बैठक |
| पॉक्सो **(POCSO)** | प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट |

© NCERT not to be republished

| | |
|---|---|
| आर.पी.एल. **(RPL)** | रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग |
| आर.टी.ई. **(RTE)** | शिक्षा का अधिकार |
| एस.सी.ई.आर.टी. **(SCERT)** | राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् |
| एस.आई.ई. **(SIE)** | राज्य शिक्षा संस्थान |
| एस.एम.सी. **(SMC)** | विद्यालय प्रबंध समिति |
| टी.एल.एम. **(TLM)** | शिक्षण-अधिगम सामग्री |
| यू.टी. **(UT)** | केंद्रशासित प्रदेश |

© NCERT not to be republished



0_Prelims.indd 14 5/28/2020 2:56:29 PM

अध्याय

1

# परिचय

बच्चे के जीवन के पहले आठ वर्ष निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, जिन्हें मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। हाल ही में हुए तंत्रिकाविज्ञान अनुसंधानों (ब्रेन रिसर्च) ने बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के महत्व की पुष्टि की है। अनुसंधानों से पता चला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के वर्षों में सार्थक संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक और गत्यात्मक क्षमताओं के विकास के लिए कुछ 'विशिष्ट अवधियाँ' महत्वपूर्ण होती हैं, जो बाद के जीवन की सफलता में योगदान देती हैं। यह अवस्था सामाजिक मूल्यों और व्यक्तिगत आदतों के निर्माण की नींव में भी महत्व रखती है। इस अवस्था में बच्चे अपने चारों ओर के लोगों और संसार के प्रति— उसके रंगों, आकृतियों, ध्वनियों, आकारों और रूपों के प्रति मुग्ध एवं जिज्ञासु होते हैं। दूसरों से जुड़ने और उनके साथ अपनी भावनाओं को साझा करने की यह योग्यता सीखने का विशेष आधार बनती है। बच्चों में संसार को अनुभव करने की योग्यता अधिक समृद्ध और विभिन्नता प्रदान करने वाली होती है। अपने परिवेश की खोजबीन करने हेतु बच्चे प्रेक्षण, प्रश्न पूछने, चर्चा करने, अनुमान लगाने, विश्लेषण करने, खोज करने, जाँच-पड़ताल करने और प्रयोग करने में व्यस्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे व्यापक और विस्तृत संकल्पनाओं और विचारों की रचना करते हैं, उनमें सुधार करते हैं और उन्हें विकसित करते हैं। बच्चों को प्रेक्षण, खोजबीन और जाँच-पड़ताल के पर्याप्त अवसर देने की आवश्यकता होती है, ताकि वे अपने आस-पास के और व्यापक परिवेश की समझ विकसित कर सकें।

छोटे बच्चे एक भावनात्मक रूप से सहायक और सक्षम परिवेश में सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, जहाँ एक उत्तरदायी शिक्षक बच्चों के साथ सुरक्षित और सुदृढ़ संबंध बनाने में मदद करता है। ऐसे वातावरण में बच्चे खोजबीन करने, अभिव्यक्त करने, सीखने और आत्मविश्वास हासिल करने हेतु स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। साथ ही यह स्वभाविक न्याय (इक्विटी) को प्रोत्साहित करता है, विद्यालय की उपस्थिति में सुधार लाता है, मानव संसाधन में उच्च योगदान अर्पित करता है और समुदायों तथा समाजों को व्यापक लाभ भी पहुँचाता है। अत: प्रत्येक बच्चे को समर्थ बनाने वाला वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इन प्रारंभिक वर्षों मे निवेश करना महत्वपूर्ण होता है, जो कि न केवल उनका अधिकार है, बल्कि जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने का एक तरीका भी है। ऐसा बेहतर प्रावधान सुनिश्चित करके छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दी जा सकती है।

भारत सरकार ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रावधान किये हैं, जैसे— स्वास्थ्य और देखभाल सुविधाओं की उपलब्धि, आधारिक संरचना, पाठ्यचर्या, शिक्षक-प्रशिक्षण और शिक्षण-अधिगम को बढ़ावा देने के प्रयास। (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986; *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*; *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल* और *शिक्षा नीति, 2013; राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013* और *प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्ता मानक, 2013)।* अभी हाल में

© NCERT not to be republished

किये गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 3 से 8 वर्ष के बच्चों, अर्थात विद्यालय-पूर्व और प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा (कक्षा 1 और 2) के लिए प्रावधानों तक पहुँच में वृद्धि हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के लागू होने के साथ, अब सभी बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि वे 6 वर्ष के होने पर विद्यालय आएँ। शोध द्वारा पता चलता है कि बच्चों की एक बड़ी संख्या अपर्याप्त विद्यालयी तैयारी के साथ प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेती है जिसकी वजह से उनके सीखने का स्तर कम रह जाता है तथा विद्यालय से बाहर होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए मानक प्रतिमान की आवश्यकता है जो लचीला हो और प्रासंगिकता के अनुसार कार्यान्वयनकर्ताओं द्वारा अनुकूल बनाया जा सके।

प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को विकास एवं आयु अनुरूप उपयुक्त सीखने के अवसर देने की आवश्यकता है जो उन्हें औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और विद्यालय शिक्षा में प्रवेश को सहज और निर्बाध बनाते हैं। इस संदर्भ में, गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एक दिशानिर्देश पुस्तिका विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई।

## 1.1 यह दिशानिर्देश किसके लिए हैं?

यह दिशानिर्देश सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों, नियोजकों, अनुसंधानकर्ताओं, प्रशासकों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के मालिकों के लिए हैं। यह दिशानिर्देश आवश्यक भौतिक आधारिक संरचनाओं, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, स्टाफ की योग्यताओं, वेतन और उनकी भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों के बारे में जानकारी देते है। यह प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के साथ-साथ बनाए जाने वाले रिकॉर्डों और रजिस्टरों पर प्रकाश डालते हैं। यह पाठ्यचर्या का संक्षिप्त परिचय देते हैं और समन्वयन तथा अभिसरण की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- यह दिशानिर्देश कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर बात करते हैं।
- 3 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अनुशंसा की गई है।
- यह दिशानिर्देश 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संबंध में बात नहीं करते हैं।
- यह 3–6 वर्षों की आयु के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बात करते हैं।

## 1.2 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिभाषा

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा वह शिक्षा है जो 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को दी जाती है। यह संयोजित शिक्षा का पहला स्तर है। पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को प्री-स्कूल शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। यह सरकारी और निजी विद्यालयों में किसी भी एक व्यवस्था जैसे आँगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री-स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल, किंडरगार्डन, मॉन्टेसरी स्कूल, और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के नाम से दी जाती है।

## 1.3 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की परिकल्पना

पूर्व–प्राथमिक शिक्षा 3–6 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सर्वव्यापक, न्यायसंगत, आनंददायक, समावेशी और संदर्भित सीखने के अवसरों की उपलब्धता को बढ़ावा देने पर विचार करती है। यह सब अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा बच्चों को भावात्मक रूप से समर्पित, सांस्कृतिक रूप से स्थापित, बाल-अभिमुखी, प्रेरक अधिगम वातावरण उपलब्ध कराके सुनिश्चित किया जा सकता है। यह खेल और विकास संबंधी उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से जीवन भर सीखने के लिए प्रबल आधार निर्मित करके अभिव्यक्ति क्षमता को अधिकतम करने पर लक्षित होती है। यह स्वस्थ प्रवृत्ति, अच्छे मूल्य, विवेचनात्मक चिंतन, सहयोग, संप्रेषण, रचनात्मकता, प्रौद्योगिकी, साक्षरता तथा सामाजिक-भावात्मक विकास को विकसित करना और

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 2 16-Dec-2019 12:40:38 PM

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय में आना भी सुनिश्चित करती है। इससे बच्चे भविष्य में उत्पादक और संतोषप्रद जीवन प्राप्त करते हैं।

## 1.4 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अति महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं—

- सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने के लिए सुदृढ़ आधार उपलब्ध कराना।
- बच्चे को विद्यालय के लिए तैयार करना

## 1.5 पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

- बाल-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करना जहाँ प्रत्येक बच्चे का महत्व हो, उसे आदर मिले, वह सुरक्षा और सुदृढ़ता का अनुभव करे और एक सकारात्मक आत्म-धारणा विकसित करे।
- अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, पोषण, स्वस्थ आदतें और स्वच्छता के लिए ठोस आधार तैयार करना।
- बच्चों को प्रभावी संप्रेषक बनने और ग्रहणशील तथा भावबोधक दोनों भाषाओं को विकसित करने में सक्षम बनाना।
- बच्चों को भागीदार शिक्षार्थी बनने, विवेचनात्मक रूप से सोचने, रचनात्मक, भागीदार, संप्रेषक बनने और अपने आस-पास के परिवेश से जुड़ने में मदद करना।
- बच्चों द्वारा पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक विद्यालय में बदलाव को सहज रूप से समायोजित करना।
- अभिभावकों और समुदायों के साथ हर बच्चे के विकास के अवसर प्रदान करने हेतु एक जोड़ीदार के रूप में कार्य करना।

## 1.6 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के वर्तमान मॉडल

देश में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। वर्तमान मॉडलों में आँगनवाड़ी, निजी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय (स्वचालित), पूर्व-प्राथमिक अभिभागों वाले सरकारी/ निजी विद्यालय और सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्थित आँगनवाड़ियाँ शामिल हैं।

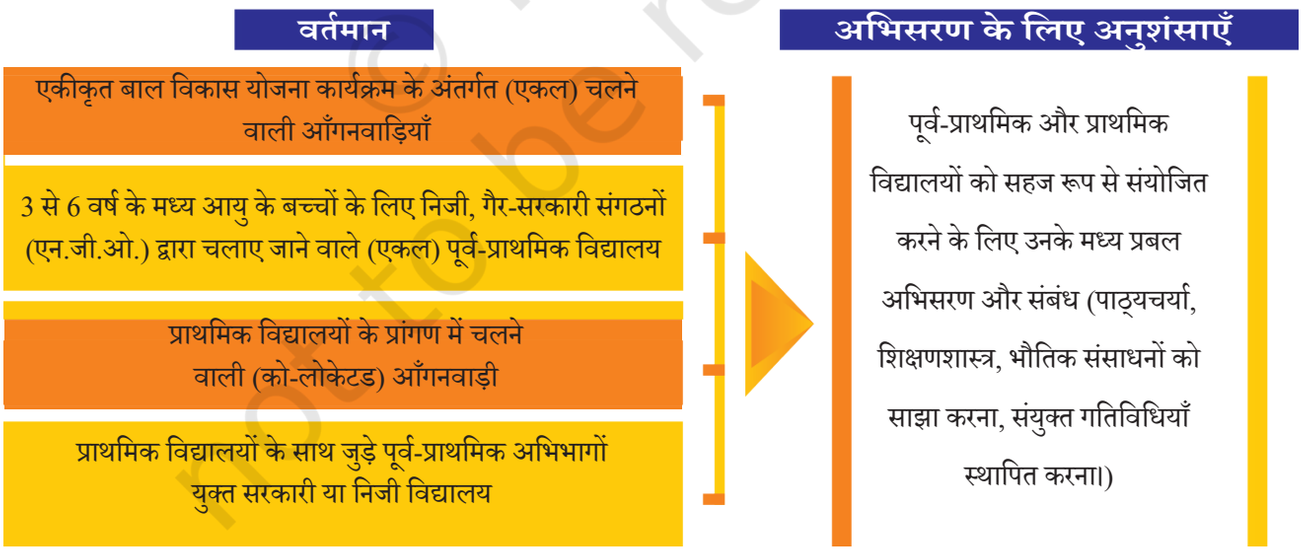


*पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वर्तमान मॉडल*

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 3 16-Dec-2019 12:40:39 PM

## 1.7 प्राथमिक कक्षाओं के साथ संयोजन (लिंकेज)

पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाएँ शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए और जीवन के लिए बुनियादी स्तर का निर्माण करती हैं। 3–8 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चे विकासात्मक सततता प्रदर्शित करते हैं, अत: पाठ्यचर्या, शिक्षणशास्त्र और सीखने के प्रतिफलों के बीच ऊर्ध्वमुखी संबंध (upward linkage) होने की आवश्यकता है। इसके लिए संबंध के तीन क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो हैं— व्यवस्थाएँ, तंत्र और व्यक्ति। ऐसे संबंधों को निम्न प्रकार सुनिश्चित किया जा सकता है—

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों के परिसर या उनके आस-पास स्थापित करना।
- कक्षा 1 और 2 की भौतिक व्यवस्थाओं को पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के समान ही नियोजित किया जाना चाहिए, जिसमें गतिविधि कोने, मुद्रित सामग्री से समृद्ध परिवेश और बच्चों के कार्य का प्रदर्शन हो।
- बैठने की व्यवस्था ऐसी हो, जिसमें बच्चे आपस में बातचीत कर सकें और अनुभव साझा कर सकें, समस्या-समाधान कौशल, सहन करने/सामना करने के कौशल विकसित कर सकें, नियमों का पालन करें और सामाजिक तथा भावात्मक स्वस्थता की समझ प्राप्त कर सकें।
- सिखाने और सीखने में समान शिक्षणशास्त्रीय प्रक्रियाओं का उपयोग करने के साथ-साथ विद्यालय के भौतिक तथा सामाजिक-भावात्मक परिवेश (आधारिक-संरचना, संसाधनों, शिक्षक-बालक पारस्परिक क्रियाएँ, आदि) के विषय में अच्छी जानकारी बनाए रखें।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में की जाने वाली गतिविधियों और बच्चों के पोर्टफ़ोलियो के माध्यम से उनकी प्रगति को साझा करने के लिए निरंतर बातचीत होनी चाहिए।
- प्राथमिक कक्षाओं के साथ संसाधनों को साझा करने और वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा दिवस, त्योहार, बाल मेला, वृक्षारोपण दिवस जैसी गतिविधियों को साथ-साथ करने की आवश्यकता है।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 4 16-Dec-2019 12:40:39 PM

अध्याय
2

# भौतिक आधारभूत संरचना

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय मूलत: एक खेल और गतिविधि-आधारित कार्यक्रम है जिसके लिए भीतर और बाहर उपलब्ध स्थान सहित पर्याप्त आधारभूत संरचना की पूर्वापेक्षा होती है। पर्याप्त आधारभूत संरचना का अर्थ आसानी से आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान का होना मात्र नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा, सफ़ाई, प्रकाश, वायु संचार तथा परिवहन के संदर्भों में भी उपयुक्त होनी चाहिए। एक गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम चलाने के लिए अनिवार्य एवं वांछित भौतिक आधारभूत संरचना नीचे दी जा रही है—

## 2.1 स्थान

### अनिवार्य

जिस भवन में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय चल रहा हो, उसका स्थान ऐसा होना चाहिए कि—

- वहाँ तक बच्चे आसानी से पहुँच सकें।
- वह भारी यातायात, तालाबों, खाइयों, नालों, कचरे के ढेरों, पशुओं के छतदार बाड़ों, कीचड़, पानी के गड्ढों और बिना ढकी नालियों से दूर होना चाहिए।
- वह एक चारदीवारी या बाड़ से घिरा होना चाहिए और साथ ही एक द्वार होना चाहिए, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई हो।

### वांछनीय

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय भूतल पर स्थित होना चाहिए।
- वहाँ वाहनों के आसानी से पहुँचने और सामान पहुँचाने का सीधा मार्ग होना चाहिए।
- जहाँ तक हो, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही स्थित होना चाहिए अथवा प्राथमिक विद्यालय के पास या बगल में होना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के आस-पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जिनका उपयोग शैक्षिक सामग्री के रूप में किया जा सके।

## 2.2 खेल और गतिविधि क्षेत्र (बाह्य और आंतरिक क्षेत्र)

### बाह्य क्षेत्र

#### *अनिवार्य*

- बाह्य खेल क्षेत्र काफी बड़ा होना चाहिए अर्थात कम से कम 300/450 (15x20/30) वर्ग मीटर प्रति 25 बच्चे, जहाँ बच्चे सुरक्षित रूप से खेल सकें और चारों ओर दौड़ सकें।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए खेल का मैदान और सामग्री उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

#### *वांछनीय*

- एक रेत से खेलने का क्षेत्र किसी छायादार और बाड़े से घिरे स्थान जैसे पेड़ के नीचे बनाया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

- पानी से खेलने का क्षेत्र बनाया जा सकता है या एक पानी का टब भीतर या बाहर दोनों क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है।

**आंतरिक क्षेत्र**

- अधिकतम 25 बच्चों को जगह देने के लिए एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कक्षा-कक्ष का मानक फर्श क्षेत्र कम से कम 35 (5x7) वर्ग मीटर होना चाहिए। यह स्थान भली-भाँति वायु संचारित और प्रकाशित होना चाहिए। इसमें उचित छत, खिड़कियाँ, दरवाज़े और फर्श होने चाहिए तथा जहाँ आवश्यकता हो, चटाइयों का प्रावधान होना चाहिए।
- कुर्सियों और मेज़ों का आकार बच्चों के अनुरूप होना चाहिए।
- लचीली कक्षा-कक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक के ऊपर एक रखा जा सकने वाला बाल अनुरूप फर्नीचर होना चाहिए जिसे खेल गतिविधियों के अनुसार आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके।

- बच्चों की ऊँचाई के अनुरूप एक ब्लैकबोर्ड का प्रावधान होना चाहिए।
- घेरा समय/बड़े समूह की गतिविधियों के लिए एक दरी/गद्दा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- खेलने और सीखने की सामग्री रखने के लिए कम ऊँचाई के खुले शेल्फ या खुली बड़ी टोकरियाँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इन पर चित्र और मुद्रित लेबल लगे हों, जिससे छोटे बच्चों में मुद्रित सामग्री को पढ़ने की जिज्ञासा पैदा हो।
- रोशनी, पंखों, और बिजली के अन्य उपकरणों के लिए बिजली उपलब्ध होनी चाहिए।
- मोम के रंग (क्रेयॉन), विविध प्रकार के कागज़, स्केच पेन, रंगीन चॉक आदि जैसी सामग्री का नियमित प्रावधान और आपूर्ति होनी चाहिए।

कक्षा-कक्ष में गतिविधि क्षेत्र बनाए जाने चाहिए। यदि जगह की कमी है तो विषयवस्तु और बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार बदल-बदल कर/अस्थायी रूप से गतिविधि क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। गतिविधि क्षेत्रों को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे कमरे के हर भाग से दिखाई दें। इससे शिक्षक सभी बच्चों पर नज़र रख सकेगा। नीचे कुछ प्रस्तावित गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, जिन्हें बच्चों के लिए पर्याप्त सामग्री के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 6 16-Dec-2019 12:40:43 PM

***पुस्तक क्षेत्र***— इस क्षेत्र में बच्चों की आयु के अनुरूप विविध प्रकार की पत्रिकाएँ, जानकारी देने वाली पुस्तकें, चित्र पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, स्थानीय लोककथाएँ, विषय-आधारित पुस्तकें, कॉमिक्स, स्लेटें, पेंसिलें, चॉक आदि होनी चाहिए।

***गुड़िया क्षेत्र/नाटकीय प्रस्तुति क्षेत्र***— इस क्षेत्र की सामग्री में विभिन्न प्रकार की गुड़िया, गुड़िया के आकार का फर्नीचर और कपड़े, गुड़िया के आकार के खाना बनाने के बर्तन (बर्तन, प्लेटें, चम्मच, आदि), नकली भोजन पदार्थ (मिट्टी की बनी सब्जियाँ या फल), पहनने के कपड़े (स्कार्फ़, टोपी, दुपट्टा, जैकेट, छोटी साड़ी, कपड़े के लंबे टुकड़े, आदि), कंघी, दर्पण, चलने की छड़ी, पुराने चश्मे, खिलौने, टेलीफ़ोन या कैमरे, एक बक्सा और एक खाने का डिब्बा शामिल किए जा सकते हैं।

***खोजबीन क्षेत्र***— इसमें आवर्धक लेंस, शंख, पौधे, बीज, चुंबक, लोहे की वस्तुएँ, तराजू, बाट, नापने के टेप या कोई अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री रखी जा सकती है।

***ब्लॉक निर्माण क्षेत्र***— इस क्षेत्र में विभिन्न रंगों, आकृतियों और आकारों के विविध ब्लॉक (गुटके) जैसे खोखले ब्लॉक, आपस में जुड़ जाने वाले ब्लॉक, फ़ोम के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक, आदि रखे जा सकते हैं।

***हस्तकौशल युक्त क्षेत्र***— इस क्षेत्र में हस्तकौशल युक्त सामग्री होनी चाहिए, जैसे— पहेलियाँ, मिलान कार्ड, लेस कार्ड, बीज, क्रमबद्ध आकृतियाँ, इनसेट बोर्ड, शंख, छाँटने के लिए सामग्री, धागे और मनके, छोटे खिलौने (कार, ट्रक, जंतु), खिलौना आकृति, टुकड़ों में बँटने वाले खिलौने, नंबर छड़ी, एबेकस और पर्यावरण से अन्य वस्तुएँ जैसे पत्तियाँ, पत्थर, कंकड़, तिनके, फूल, आदि।

***कला क्षेत्र***— इस क्षेत्र में शामिल सामग्री होनी चाहिए— विभिन्न प्रकार के कागज़ (लाइनों वाले, बिना लाइनों वाले), क्रेयॉन, पेंसिलें, मिटाए जा सकने वाले मार्कर, स्लेटें, रंगीन चॉक, कपड़ों के टुकड़े, पेंट, ब्रश, टेप, खेलने के लिए गूँधा हुआ आटा/मिट्टी, रोलिंग पिन, बोर्ड, स्टेंसिल,

पुराने अखबार, पत्रिकाएँ, आइसक्रीम स्टिक्स और अन्य स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री।

***संगीत और गति क्षेत्र***— संगीत क्षेत्र में ढपली, घंटियाँ, प्याले, बाँसुरियाँ, वाद्ययंत्र, झुनझुने, विभिन्न प्रकार के धातुओं के बर्तन, स्थानीय वाद्ययंत्र, संगीत उपकरण और गानों, कविताओं तथा शिशु गीतों की विविध डी.वी.डी. होनी चाहिए। इस क्षेत्र में रिबन या स्कार्फ़ जैसी वस्तुएँ हो सकती हैं जिसे बच्चे रचनात्मक गति/ लय को दर्शाने के लिए मंच सामग्री के रूप में उपयोग में ले सकते हैं।

**वांछनीय**

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों और बच्चों के लिए एक पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 7 16-Dec-2019 12:40:45 PM

उपयुक्त संसाधन सामग्री और श्रव्य-दृश्य सहायक सामग्री होनी चाहिए।

**नोट**— आंतरिक और बाह्य क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी के लिए अध्याय 6 देखें।

## 2.3 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई. सी.टी.) के लिए सुविधाएँ

**वांछनीय**

- टेलीविज़न/संगीत उपकरण, पर्दे सहित एल.सी.डी प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, स्मार्ट बोर्ड/इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड, डिजिटिल कैमरा, डी.वी.डी/सी.डी. आदि का उपयोग पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में किया जा सकता है।
- आई.सी.टी. का उपयोग पूर्व-प्राथमिक और प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा के बच्चों को संयुक्त रूप से अनुभव कराने के लिए किया जा सकता है, जैसे कहानी, संगीत और नृत्य अनुभव आदि को पर्दे पर दिखाना।
- शिक्षक उपलब्ध ई-संसाधनों जैसे इंटरएक्टिव वेबसाइट्स, शैक्षिक ऐप्स, शैक्षिक वीडियो साइट्स, डिजिटल कहानी सुनाना और ई-पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं।
- शिक्षक ऑनलाइन संगठनों से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ वे अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बहुत अधिक काम में आने वाली वेबसाइटों को इकट्ठा और व्यवस्थित कर सकते हैं।

## 2.4 स्टाफ के लिए सुविधाएँ

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ के लिए अपनी व्यक्तिगत चीज़ें (शिक्षक डायरी, बच्चों के वर्णनात्मक रिकॉर्ड, आदि) रखने के लिए, गतिविधियों की योजना बनाने और उन पर चर्चा करने, प्रशासनिक कार्य करने और अभिभावकों के साथ बैठकें करने के लिए एक अलग स्थान या कमरा होना चाहिए।
- कमरे में मेज़, कुर्सियाँ, बेंच और छोटी अलमारियाँ उपलब्ध होनी चाहिए।
- स्टाफ के लिए एक अलग शौचालय होना चाहिए।

## 2.5 पीने के पानी और हाथ धोने के लिए सुविधाएँ

- स्वच्छ पीने का पानी और हाथ धोने की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- यदि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में जल शुद्धिकरण के उपकरण उपयोग में लाये जा रहे हैं, तो इनकी नियमित सफ़ाई और रख-रखाव होना चाहिए।
- उपयोग के बाद गिलासों/कपों को धोने का प्रावधान होना चाहिए।

## 2.6 शौचालय सुविधा

- बच्चों के अनुकूल शौचालय होने चाहिए। लड़कों, लड़कियों तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग शौचालय हों।
- शौचालय सुरक्षित होने चाहिए। उनका रख-रखाव और जल आपूर्ति नियमित होनी चाहिए।
- हाथ धोने के लिए साबुन और एक साफ़ तौलिया होना चाहिए।
- शौचालय में लगी वस्तुएँ और सिंक बच्चों की पहुँच के अनुसार होनी चाहिए।
- शौचालयों की नियमित सफ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

## 2.7 सोने/विश्राम की सुविधाएँ

- यदि पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की समयावधि प्राथमिक विद्यालय के अनुरूप चार घंटे से अधिक है, तो सभी

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 8 16-Dec-2019 12:40:46 PM

बच्चों के लिए एक झपकी या विश्राम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- साफ़ गद्दों और चादरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

## 2.8 परिवहन सुविधा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बच्चों को उनकी आवश्यकतानुसार सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए अपनी स्वयं की दिशानिर्देश पुस्तिका विकसित करें।

## 2.9 भंडारण स्थान

**अनिवार्य**

कागज़/क्रेयॉन/स्केच पेन, चार्ट, शिक्षण सहायक सामग्री, फोल्डर और पोर्टफ़ोलियो आदि जैसी वस्तुओं को रखने के लिए स्थान (शिक्षक और बच्चों, दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**वांछनीय**

प्रत्येक बच्चे को उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम ऊँचा शेल्फ/लॉकर उपलब्ध कराना चाहिए। ये बच्चे की ऊँचाई पर उसकी सहज पहुँच में होने चाहिए।

## 2.10 बाधारहित परिवेश

विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित करना चाहिए—

- कक्षा-कक्ष की व्यवस्था ऐसी हो कि कक्षा में सभी बच्चों का आवागमन सहज हो।
- हत्थों वाले रैंप।
- सभी गतिविधि क्षेत्रों में खेल उपकरण और सामग्री, फर्नीचर तथा अन्य सुविधाएँ।
- संशोधित उपकरणयुक्त शौचालय।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 9 16-Dec-2019 12:40:46 PM

अध्याय
3

# पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ

एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में ऐसा समर्पित स्टाफ होना चाहिए , जो पूर्व-प्राथमिक केंद्रों में बच्चों के लिए एक सौहार्द्रपूर्ण और आनंददायक वातावरण बनाने में सहयोग कर सके। पूर्व-प्राथमिक स्टाफ, विशेष रूप से शिक्षक, बच्चों को कक्षा-कक्ष के भीतर और बाहर अवसर उपलब्ध कराते हैं। शिक्षकों के अलावा, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए प्रशासक तथा सहायक समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उनके अनुभवों, शिक्षा और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रति समर्पण के आधार पर उनका सावधानीपूर्वक चयन होना चाहिए। स्टाफ सदस्यों की योग्यता, बच्चों के सीखने और पूर्व-प्राथमिक केंद्रों के उचित संचालन में उनकी भूमिका, आदर्श शिक्षक-बालक अनुपात, उनकी वेतन संरचना, भर्ती और सेवा शर्तें, साथ ही उनके व्यावसायिक विकास की चर्चा नीचे की गई है।

## 3.1 सुझावित स्टाफ, योग्यता और वेतन स्वरूप

| योग्यता और वेतन | अनिवार्य स्टाफ | वांछनीय स्टाफ |
|---|---|---|
| • सरकारी मापदंडों के अनुसार<br>• मापदंडों के अनुसार वेतन | **प्रशासक**<br>विद्यालय का प्राचार्य/ प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर | **पर्यवेक्षक या प्रभारी**<br>जहाँ पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के लिए 4 से अधिक अनुभाग हैं। सबसे वरिष्ठ शिक्षक को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का प्रभारी बनाया जाना चाहिए। |
| • कक्षा 12 उत्तीर्ण, साथ में एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्य पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा<br>• प्राथमिक शिक्षक के लिए मापदंडों के अनुसार वेतन | **शिक्षक**<br>3–4 वर्ष के 20 बच्चों के लिए एक शिक्षक और एक सहायक<br>4–6 वर्ष के 25 बच्चों के साथ एक शिक्षक | **सहायक शिक्षक**<br>जहाँ 25 से अधिक बच्चे कक्षा में हों, वहाँ एक सहायक शिक्षक की अनुशंसा की जाती है। |
| • कक्षा 10 उत्तीर्ण, न्यूनतम आयु 18 वर्ष, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में प्रेरण प्रशिक्षण दिया जाए | **सहायक**<br>3–6 वर्ष तक के 20–25 बच्चों के लिए एक | |
| | **सुरक्षा गार्ड** | **अभिभावक स्वयंसेवी**<br>स्थानीय शिल्पकार, कारीगर, बच्चों के साथ काम करने के लिए तैयार हों; कला और शिल्प प्रशिक्षक, संगीत प्रशिक्षक |
| • अर्ध-कुशल व्यक्तियों के लिए राज्य के मापदंडों के अनुसार वेतन | **सहायक स्टाफ**<br>रसोईया, लेखा कर्मचारी, चपरासी और बागवान | |

**नोट**— सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ के लिए पुलिस सत्यापन होना चाहिए

© NCERT not to be republished

## 3.2 पूर्व-प्राथमिक शिक्षक

3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास और जीवनपर्यंत सीखने की नींव डालने के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस अवस्था में किसी भी बच्चे को एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, जो योग्यता प्राप्त और भली प्रकार प्रशिक्षित हो, जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का जुनून हो, उनके साथ बातचीत करने और खेलने में जिसे आनंद आए, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और बच्चों की साझेदारी को बढ़ाने वाला हो। अत: पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह एक उपयुक्त वातावरण, बाल-अनुकूल सामग्री, आयु उपयुक्त खेल गतिविधियाँ उपलब्ध कराकर तथा अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं और समर्थन द्वारा बच्चों के सीखने को मार्गदर्शन देकर, विकासात्मक रूप से उपयुक्त उच्च गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना तैयार करे। उसे छोटे बच्चों के प्रति आवश्यक संवेदनशीलता और उनके विकास संबंधी आवश्यकताओं की समझ के साथ-साथ बाल्यावस्था अनुभवों की विविधता के ज्ञान और कौशलों को प्रदर्शित करना चाहिए। तदनुसार उसे उनके लिए अवसरों तथा अनुभवों की योजना बनानी चाहिए जो सांदर्भिक रूप से प्रासंगिक हों और उनके सर्वोत्तम विकास में योगदान दें।

अत: यह अत्यावश्यक है कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के पास उपयुक्त अकादमिक योग्यता हो, वह व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हो, उसे समय-समय पर परामर्श दिया जाए और उसे प्राथमिक शिक्षकों के समान वेतन देकर समर्थन तथा प्रोत्साहन दिया जाए और वह करियर में बढ़त प्राप्त करे।

चूँकि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अभी एक अनियंत्रित क्षेत्र है और इसे एकीकृत बाल विकास योजना तथा निजी विद्यालयों द्वारा चलाया जा रहा है, यह संभावना है कि इस प्रणाली में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक या आँगनवाड़ी कार्यकर्ता हों जो पूर्व-प्राथमिक शिक्षा दे रहे हों। अब पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को विद्यालयी शिक्षा का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है, अत: राज्यों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्राथमिक शिक्षकों के समान ही एक संवर्ग बनाएँ और शिक्षा के इस स्तर के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण राज्यों में शिक्षक विकास सुविधाओं (सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन) का विस्तार करें।

### सेवा-पूर्व प्रशिक्षण

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE), जो कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक संवैधानिक संस्था है, ने पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 12 के साथ दो वर्ष का पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा निर्धारित किया है। राज्यों को चाहिए कि वे इस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की उपलब्धता को राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट्स) में स्थापित करें और संकाय को प्रशिक्षित कर प्रोत्साहन दें। साथ ही, जब भी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता हो तो निजी संस्थानों को भी प्रोत्साहित करें।

### सेवाकालीन प्रशिक्षण/व्यावसायिक विकास

पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अन्य व्यावसायिक विकास के अवसरों की रूपरेखा बनाने और उन्हें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ये शिक्षकों को अपने क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, परस्पर संपर्क बनाने और आधुनिक जानकारी रखने के अवसर देते हैं। व्यावसायिक विकास प्रक्रिया निरंतर होनी चाहिए, जो शिक्षकों के कौशलों तथा ज्ञान के विकास को बढ़ावा और विस्तार देगी।

पहले से सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों/आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, वर्तमान स्टाफ की योग्यताओं को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं की रूपरेखा

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 11 16-Dec-2019 12:40:48 PM

(NSQF) के अंतर्गत गहन कौशल कार्यक्रम उपलब्ध कराकर अवसर दिए जा सकते हैं, जिसमें वांछनीय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पूर्व अधिगम की मान्यता (RPL) और श्रेय (credit) संग्रहण तथा बहुप्रवेश और बहुनिकास विकल्पों के साथ लचीलेपन का प्रावधान होता है। ये कार्यक्रम संपर्क कार्यक्रमों द्वारा या खुले और दूरस्थ और मिश्रित तरीकों से कराये जा सकते हैं। इस लचीलेपन को अनुकूल बनाने के लिए वेतन संरचना में बदलाव किया जा सकता है। सेवाकालीन शिक्षा तथा प्रशिक्षण को 'कार्य स्थल पर' (on the job) संचालित किया जा सकता है अथवा बाहरी स्रोत जैसे प्रशिक्षण संस्थानों या महाविद्यालयों द्वारा दिया जा सकता है। यह कार्यशालाओं, सम्मेलनों, विषय प्रशिक्षण, क्षेत्र-आधारित परामर्श प्रशिक्षण, पर्यवेक्षित अभ्यासों और सबसे महत्वपूर्ण कि उसी स्थल पर परामर्श द्वारा दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों, एस.सी.ई.आर.टी. और डी. आई.ई.टी. जैसे संस्थानों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए मदद और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो (i) संपर्क कार्यक्रमों (ii) खुले और दूरस्थ तरीके से या (iii) मिश्रित तरीके (संपर्क और दूरस्थ का मिश्रण) से दिया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पूर्व-प्राथमिक/आँगनवाड़ी में पर्यवेक्षित प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) का घटक होने का भी सुझाव दिया जाता है।

### मुख्य पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास/ अभिविन्यास कार्यक्रम

प्रबंधकीय स्टाफ जैसे ज़िला शिक्षा अधिकारी (DEO), प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), सुपरवाइज़र और अन्य व्यावसायिक विकास में मदद देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व द्वारा स्टाफ की गुणवत्ता को बनाए रखा जाता है जो टीम के रूप में कार्य करने, जानकारी साझा करने और व्यावसायिक स्टाफ के विकास को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है। अत: कार्यक्रमों में शामिल सभी पदाधिकारियों को प्रारंभिक वर्षों के महत्व, खेलने और गतिविधि-आधारित शिक्षाशास्त्र तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में अभिविन्यस्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।

पूर्व-प्राथमिक स्टाफ के व्यावसायिक विकास के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और संगठनों द्वारा कुछ अंतरिम उपाय किए गए हैं।

इनमें से कुछ उपाय उदाहरण के रूप में यहाँ दिए जा रहे हैं।

**उदाहरणस्वरूप अंतरिम उपाय**

| क्रम संख्या | संगठन का नाम | कार्यक्रम विवरण |
|---|---|---|
| 1. | पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलांग | ई.सी.ई. में तीन माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम |
| 2. | सिक्किम सरकार | तीन माह का ई.सी.सी.ई. घटक डी.एल.एड. पाठ्यक्रम में शामिल |
| 3. | एस.सी.ई.आर.टी., नागालैंड | एन.सी.टी.ई (NCTE) द्वारा स्वीकृत पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DPSE) चल रहा है। |
| 4. | जी.सी.ई.आर.टी., गुजरात | पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए दो माह का ऑनलाइन प्रमाणपत्र कोर्स |
| 5. | एस.आई.ई., पुदुच्चेरी | एन.आई.ओ.एस. के ई.सी.सी.ई. पाठ्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी एल.डी.सी. वेतनमान प्राप्त कर स्थायी शिक्षक बन जाते हैं। |
| 6. | इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय | दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) में एक वर्षीय डिप्लोमा |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 12 16-Dec-2019 12:40:48 PM

| | | |
|---|---|---|
| 7. | राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) | ई.सी.सी.ई. में एक वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम |
| 8. | अज़ीम प्रेमजी प्रतिष्ठान | आँगनवाड़ी शिक्षकों का सेवाकालीन क्षमता विकास<br>इसमें शामिल हैं— आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण और उनके साथ कार्य करना, ताकि वे आँगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के समग्र विकास के अध्ययन केंद्रों में बदल सकें। |
| 9. | मोबाइल क्रेश | ई.सी.डी. के लिए व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसमें शिशु देखभाल के सभी घटक जैसे स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा शामिल हैं। |

**सहायक/सहायिका**

पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षक को एक सहायक की आवश्यकता होती है, क्योंकि सहायिका नियमित रूप से छोटे बच्चों के साथ कार्य करती है। इसलिए उन्हें बाल विकास के मूल सिद्धांतों, छोटे बच्चों के साथ कार्य करने, बच्चों की साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता को बनाए रखने, कक्षा मे भोजन परोसने में मदद करने और शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों में मदद करने हेतु ज्ञान और कौशलों की आवश्यकता होती है। उसका अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के लिए भली-भाँति प्रशिक्षित होना ज़रूरी है। सहायक को दैनिक पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या को लागू करने हेतु शिक्षक की मदद करनी चाहिए। जब भी आवश्यकता हो, उसे बच्चों के साथ कुछ गतिविधियाँ कराने योग्य भी होना चाहिए। सहायकों की योग्यता और इस क्षेत्र में उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, उनके करियर उन्नयन का प्रावधान भी होना चाहिए।

## 3.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय स्टाफ की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

| प्रशासकीय | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया** | **पर्यवेक्षक या प्रभारी** | **शिक्षक** | **सहायक शिक्षक** | **सहायक** |
| • पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को सँभालना<br>• अभिसरण के लिए को-लोकेटड आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वयन करना<br>• पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वन का पर्यवेक्षण करना | • केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं जैसे— स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, आग का नियमित निरीक्षण और सुधार के लिए आवश्यक कार्रवाई करना<br>• पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के नियमित प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। यह दायित्व शिक्षण के साथ अथवा शिक्षण के बिना किया जाना होगा। | • सामान की खरीददारी में प्रधानाध्यापक/ पर्यवेक्षक की मदद करना<br>• सहायक शिक्षक को स्वयं की अनुपस्थिति में पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए प्रशिक्षित करना<br>• पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहायता के लिए सहायक को प्रशिक्षित करना | • सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना<br>• शिक्षक को आयु-उपयुक्त गतिविधियों की योजना बनाने तथा उन्हें लागू करने में मदद करना | |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 13 16-Dec-2019 12:40:48 PM

| पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया | पर्यवेक्षक या प्रभारी | शिक्षक | सहायक शिक्षक | सहायक |
|---|---|---|---|---|
| • जब भी आवश्यकता हो, स्टाफ के साथ बैठकें आयोजित करना और बैठकों का रिकॉर्ड रखना<br>• सभी शिक्षकों और अन्य स्टाफ का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना | • नियमित स्टाफ के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु समय-समय पर प्रेक्षण करना, उपयुक्त दस्तावेजों का रख-रखाव करना और समय-सीमा का पालन करना<br>• समूह के लिए नियमित स्टाफ बैठकें आयोजित करना | • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के पर्यवेक्षक और प्रधान अध्यापक को मदद करना<br>• सहायक के कार्य का पर्यवेक्षण करना | | |
| **कार्यक्रम और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन** | | | | |
| • प्रभावी पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए समन्वयन और मदद करना<br>• शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण तथा अभिविन्यास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अन्य व्यावसायिक विकासीय गतिविधियों के आयोजन को पर्यवेक्षित करना और उनके संचालन में भाग लेना | • अन्य स्टाफ (अर्थात सहायक शिक्षक और सहायक) को मार्गदर्शन, सहारा तथा तकनीकी सहायता देना<br>• आयु और विकास उपयुक्त पाठ्यचर्या की योजना बनाना, आयोजन करना और उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना<br>• सभी बच्चों के (ग्रोथ मॉनिटरिंग) बढ़त पट्टी, स्वास्थ्य जाँच और रिकॉर्डों के उचित रख-रखाव को सुनिश्चित करना<br>• सुनिश्चित करना कि बच्चों को संतुलित नाश्ता और भोजन दिया जा रहा है | • आरंभिक सीखने के प्रतिफलों और विकासीय लक्ष्यों से परिचित होना और तदनुसार गतिविधियाँ नियोजित करना<br>• बच्चों की विविधता और विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु मासिक/साप्ताहिक और दैनिक कार्यक्रम तैयार करना<br>• विद्यार्थियों के पोर्टफ़ोलियों का रख-रखाव करना | • शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना<br>• पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के मार्गदर्शन अनुसार छोटे समूहों में गतिविधियों के आयोजन में मदद करना और गतिविधियाँ आयोजित करना<br>• बड़े समूह में करायी जाने वाली गतिविधियों में पूर्व-प्राथमिक शिक्षक की मदद करना जैसे— कहानी सुनाना, सर्कल टाइम (घेरा समय) गतिविधियाँ<br>• प्रारंभिक सीखने के प्रतिफलों और विकासीय लक्ष्यों से परिचित होना और तदनुसार गतिविधियाँ नियोजित करना | • विद्यालय आगमन पर और गतिविधियों के दौरान बच्चों के साथ रहकर निगरानी रखना जैसे शौचालय जाने के समय या बाहरी खेल के समय<br>• शिक्षक तथा सहायक शिक्षक की देखरेख में भोजन तैयार करना<br>• क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण के समय शिक्षक की मदद करना |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 14 16-Dec-2019 12:40:48 PM

| पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया | पर्यवेक्षक या प्रभारी | शिक्षक | सहायक शिक्षक | सहायक |
|---|---|---|---|---|
| | • हर समय बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना | • विकास में हो रही देरी को पहचानना। विशेष प्रशिक्षकों की मदद से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गतिविधियों की योजना बनाना और व्यवस्था करना<br>• आवश्यकतानुसार क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण की योजना बनाना और व्यवस्था करना<br>• संतुलित नाश्ते और भोजन की योजना बनाना<br>• हर समय बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करना<br>• बच्चों के व्यवहार/कार्य को देखना तथा आकलन करना और नोट्स बनाना<br>• नियमित अंतरालों में बच्चों के अभिभावकों को अपने प्रेक्षणों से अवगत कराना<br>• पाठों की योजना बनाना जिसमें बच्चे द्वारा शुरू की जाने वाली और शिक्षक द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियाँ हों।<br>• यदि बच्चा लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तो उसके समाधान के लिए उपाय करना | • पाठ योजनाएँ विकसित करने में मदद करना<br>• पूर्व-प्राथमिक शिक्षक के गतिविधि क्षेत्रों तथा प्रदर्शन बोर्ड और कमरे की भौतिक व्यवस्था की योजना बनाने और विकसित करने में मदद करना<br>• क्षेत्र भ्रमण/प्रकृति भ्रमण के समय शिक्षक को मदद देना<br>• प्रत्येक बच्चे की ताकतों और आवश्यकताओं को पहचानना, अध्यापक को रिपोर्ट करना और आकलन में शिक्षक की मदद करना<br>• बच्चों के पोर्टफ़ोलियो का रख-रखाव करना<br>• शिक्षक की अनुपस्थिति में बच्चों से गतिविधियाँ कराना | |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 15 16-Dec-2019 12:40:49 PM

| अभिभावकों, समुदाय और अन्य हितधारियों की मदद | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया** | **पर्यवेक्षक या प्रभारी** | **शिक्षक** | **सहायक शिक्षक** | **सहायक** |
| • विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मदद के लिए शिक्षक के साथ समन्यवयन करना | • अभिभावकों, समुदाय, शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के बीच एक कड़ी एवं संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना<br>• उपस्थिति, प्रवेश, परिवहन, अभिभावक-शिक्षक बैठक आदि जैसी प्रशासनिक पूछताछ के लिए समन्वयन करना<br>• अभिभावकों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों और शिक्षण प्रक्रियाओं पर अभिविन्यास की योजना बनाना और आयोजन करना तथा उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना<br>• अभिभावकों से सुझाव/प्रतिपुष्टि और उनके विचार इकट्ठा करना | • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय टीम के साथ कार्यक्रम को सुदृढ़ करना और अभिभावकों की मदद के लिए कार्य करना<br>• अभिभावकों/समुदाय के साथ संबंध विकसित करना और उनके बच्चों की शिक्षा में उन्हें साथियों के रूप में शामिल करना<br>• अभिभावक-शिक्षक बैठकों के समय अभिभावकों/समुदाय से रुचिकर जानकारियों को नियमित रूप से संप्रेषित और साझा करना<br>• अभिभावकों के लिए सूचनात्मक सत्र और कार्यशालाएँ रखना<br>• बच्चों के कार्य को देखना और उसका आकलन करना तथा संवेदनशील तरीके से बच्चों की प्रगति पर प्रतिपुष्टि देना | • अभिभावकों और समुदाय के साथ बातचीत करने में शिक्षक की मदद करना और जब आवश्यकता हो, बच्चों के घर जाना | • अभिभावकों के विद्यालय आने पर उनसे बातचीत करना |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 16 16-Dec-2019 12:40:49 PM

| कक्षा-कक्ष संबंधी कर्तव्य | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **पूर्व-प्राथमिक विद्यालय का मुखिया** | **पर्यवेक्षक या प्रभारी** | **शिक्षक** | **सहायक शिक्षक** | **सहायक** |
| • पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु उपयोगी 21वीं सदी के कौशलों और तकनीकों जैसे विवेचनात्मक चिंतन, सहयोग, समूहों में कार्य करना, स्व-नियमन, आदि पर मार्गदर्शन | • पूर्व-प्राथमिक कक्षा-कक्ष के वातावरण को सीखने-सिखाने के लिए उपयुक्त बनाने की योजना बनाना और मदद करना<br>• साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक बच्चे की औसत दैनिक उपस्थिति की निगरानी<br>• गतिविधि क्षेत्र में प्रेक्षण, खोजबीन और कार्यसाधन के लिए विविध सामग्रियों और संसाधनों को सुनिश्चित करना | • सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा एक सुरक्षित, सुविधापूर्ण और भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाए रखना<br>• सभी बच्चों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करना<br>• गतिविधि क्षेत्रों में बच्चों का अवलोकन तथा उनके साथ अंत:क्रिया करना<br>• योजना के अनुसार प्रतिदिन के कार्यक्रमों का संप्रेषण सुनिश्चित करना<br>• प्रत्येक बच्चे के पोर्टफ़ोलियो का रख-रखाव करना<br>• आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना<br>• बच्चों के साथ प्यार, लालन-पालन और तदानुभूति के साथ व्यवहार करना | • सकारात्मक और प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा एक सुरक्षित, सुविधापूर्ण और भावनात्मक रूप से सहायक वातावरण बनाए रखना<br>• बाहर खेलते समय बच्चों के साथ रहना, खेलना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना<br>• गतिविधि क्षेत्र में बच्चों के साथ संवाद करना<br>• बच्चों की दिनचर्या जैसे विद्यालय आना, घर जाना, नाश्ता करना, स्वास्थ्य देखभाल, आदि का उत्तरदायित्व लेना<br>• आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना<br>• बच्चों के साथ प्यार, लालन-पालन और तदानुभूति के साथ व्यवहार करना | • समय-समय पर कक्षा की सफाई करना<br>• बच्चों के शौचालय, हाथ-धोने आदि की स्वच्छता का ध्यान रखना<br>• गतिविधियों के लिए कक्षा को तैयार करने हेतु शिक्षक की मदद करना, जैसे गतिविधियों के लिए सामग्री व्यवस्थित करना<br>• कमरे को विश्राम और संगीत तथा आवागमन के लिए तैयार करना<br>• आपातकाल से निपटना और प्राथमिक उपचार करना<br>• प्यार और लालन-पालन करना<br>• शिक्षक/सहायक शिक्षक की देखरेख में भोजन परोसना<br>• कार्यक्रमों के आयोजन में शिक्षक की सहायता करना<br>• उस खेल सामग्री की मरम्मत करवाना/हटा देना जिससे बच्चों को खतरा हो |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 1-3.indd 17 16-Dec-2019 12:40:49 PM

अध्याय
4

# प्रवेश प्रक्रिया

कोई भी बच्चा 3 वर्ष का हो जाने पर एक सुनियोजित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही तब, जब वह—

- परिवार से अलग होने की स्थिति का सामना करने योग्य हो जाए।
- कुछ मौखिक क्षमता प्राप्त कर ले और अपनी मूल आवश्यकताओं को बता सके।
- स्वयं शौचालय जा सके।

## 4.1 प्रवेश के लिए आयु

भिन्न-भिन्न राज्यों में उनके अकादमिक कैलेंडर के अनुसार प्रवेश के लिए तिथियाँ भिन्न हो सकती हैं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयु में भिन्नता है।

कक्षा 1 में प्रवेश से पहले तीन वर्ष की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा अर्थात पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1, 2 और 3 सुझायी गई है।

**पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1**— पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यह प्रवेश बिंदु है।
**पूर्व-प्राथमिक कक्षा 2**— यह कक्षा पूर्व-प्राथमिक कक्षा 1 की आगे की कड़ी है।
**पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3**— बच्चे पूर्व-प्राथमिक कक्षा 3 को पूरा करने के बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेंगे।

## 4.2 प्रवेश प्रक्रिया

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में बच्चों और अभिभावकों का लिखित या मौखिक, किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए।
- बच्चों को धर्म, जाति, विश्वास, प्रजाति, क्षेत्र, जेंडर, अक्षमता और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रवेश के लिए मना नहीं करना चाहिए।
- प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए।
- आस-पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि प्रार्थियों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक हो तो बच्चों के प्रवेश हेतु निम्न सुझावित रणनीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए—

- प्रवेश का आधार 'पहले आओ-पहले पाओ' होना चाहिए।
- हाथ से या कंप्यूटर से क्रमरहित (Random) लॉटरी निकाली जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि लॉटरी निकालते समय पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- राज्य मानदंडों के आरक्षण नियमों के आधार पर कोटा (नियतांश) आधारित क्रमरहित चयन होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय जहाँ स्थित हो, जैसे विश्वविद्यालय प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केंद्र आदि, उसकी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों का कोटा निश्चित किया जा सकता है जैसे— (i) कर्मचारियों के बच्चे (ii) विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (iii) एकल अभिभावक (iv) लड़की आदि। प्रत्येक वर्ग में क्रमरहित चयन किया जा सकता है।

© NCERT not to be republished

अध्याय
5

# पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या

कक्षा में की जाने वाली हर गतिविधि और क्रियाकलाप के सम्मेलन से पाठ्यक्रम बनता है और इसकी विषयवस्तु बच्चे की प्राकृतिक और सामाजिक दुनिया से प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधि और पद्धतियाँ आधारभूत आरंभिक अधिगम सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए और इन्हें बच्चे की आयु और सीखने के स्तर तथा आरंभिक अधिगम आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित कर लिया जाना चाहिए। बच्चों को धीरे-धीरे प्राथमिक विद्यालय की औपचारिक दिनचर्या का आदी होने के साथ साक्षरता (पढ़ना और लिखना) और संख्या-विषयक ज्ञान (गणितीय संकल्पनाओं को समझना और प्रयोग में लेना) तथा सामाजिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने में मदद की आवश्यकता होती है। अत: यह सुझाया जाता है कि आरंभिक अधिगम सिद्धांत पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या का आधार होने चाहिए। इससे शिक्षा के एक भिन्न मुकाम तक पहुँचने में मदद मिलेगी। यह उन्हें केवल सीखने के अगले पड़ाव तक जाने के लिए ही तैयार नहीं करेगा बल्कि जीवन भर सीखने में भी मदद करेगा।

## 5.1 पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि

**अनिवार्य**

- पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की अवधि चार घंटे प्रतिदिन होनी चाहिए।
- कार्यक्रम में दिन में कुछ समय विश्राम के लिए दिया जाना चाहिए। जो कार्यक्रम लंबे समय का हो, उसमें झपकी लेने का समय भी होना चाहिए।

**पूर्व-प्राथमिक पाठ्यचर्या के मार्गदर्शक सिद्धांत**

- सीखना सतत और संचयी होता है।
- तंत्रिका विज्ञान से प्राप्त साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि आरंभिक अधिगम आगामी जीवन की उपलब्धियों को प्रभावित करता है।
- हर बच्चा अलग होता है और वह अपनी गति से ही बढ़ता, सीखता और विकास करता है।
- सीखने और विकास का आधार खेल एवं गतिविधियाँ हैं।
- बच्चों के सीखने के लिए बड़ों के साथ प्रतिक्रियात्मक और सहयोगी अत:क्रिया (संवाद) अनिवार्य है।
- अनुभवजन्य अधिगम के लिए परिवेश निर्मित करने से बच्चे सीखते हैं।
- पारस्परिक शिक्षण-अधिगम अनुभवों को समृद्ध करता है।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का विकास और उपयोग सीखने के अवसरों को समृद्ध करता है।
- संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता और विविधताओं की सराहना अधिगम में सहायक है।
- मातृभाषा/घर की भाषा ही शिक्षण का माध्यम होनी चाहिए।
- अधिगम में परिवार की सहभागिता योगदान देती है।

© NCERT not to be republished

- शिक्षक बच्चों से पहले विद्यालय पहुँचें और उनके जाने के बाद ही विद्यालय छोड़ें, ताकि वे अगले दिन के कार्यक्रम की तैयारी कर सकें।

**वांछनीय**

- बच्चे सप्ताह में पाँच दिन अर्थात सोमवार से शुक्रवार पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं; शनिवार का दिन शिक्षकों द्वारा पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, अगले सप्ताह के कार्यक्रम की योजना बनाने, शिक्षण-अधिगम सामग्री को तैयार करने, अभिभावकों से संपर्क करने; रिकॉर्ड, रजिस्टर और पोर्टफोलियो, आदि के रख-रखाव हेतु उपयोग में लिया जा सकता है।

## 5.2 पाठ्यचर्या— मुख्य संकल्पनाएँ, शिक्षण प्रक्रियाएँ और आरंभिक सीखने के प्रतिफल

पाठ्यचर्या का स्वरूप समग्र दृष्टिकोण वाला और संदर्भ के अनुसार लचीला भी हो सकता है। पाठ्यचर्या तीन लक्ष्यों को संबोधित करती है। संप्रेषण हेतु मुख्य कौशल/संकल्पनाएँ, शिक्षकों द्वारा अनुसरण की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाएँ और वर्ष के अंत में बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आरंभिक सीखने के प्रतिफल।

बच्चों का सीखना और विकास समग्र रूप से होता है, यह स्वास्थ्य, संज्ञान, भाषायी, व्यक्तिगत तथा सामाजिक सकुशलता/विकास के क्षेत्रों में अग्रसर होता है। बच्चे भिन्न तरीकों और भिन्न गति से सीखते हैं। पाठ्यचर्या निम्नलिखित तीन व्यापक लक्ष्यों के माध्यम से विकास के सभी क्षेत्रों को एकीकृत करती है—

**लक्ष्य 1**— यह लक्ष्य बच्चों के सामाजिक-भावात्मक और शारीरिक-गत्यात्मक विकास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करता है। इन पहलुओं में बच्चों के लिए नियोजित खेल, रचनात्मक गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से सकारात्मक स्व-अवधारणा, आत्म-नियंत्रण, सामाजिक कौशल, आँख तथा हाथ का समन्वयन और स्थूल गत्यात्मक तथा सूक्ष्म-गत्यात्मक कौशलों का विकास शामिल है। इसके अतिरिक्त यह बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए अभिविन्यास प्रदान करता है।

**लक्ष्य 2**— यह लक्ष्य भाषा और साक्षरता कौशलों के विकास, जो सभी क्षेत्रों में सीखने का एक अभिन्न भाग है, पर ध्यान केंद्रित करता है। स्वयं को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने और आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण करने के लिए बच्चों को वयस्कों और अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रिया करने के अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण निर्देश के साथ अर्थपूर्ण साक्षरता गतिविधियों में व्यस्त होते हैं, तो वे सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल विकसित कर लेते हैं। ये उन्हें प्रभावी संप्रेषक बनने में सक्षम बनाते हैं।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 20 16-Dec-2019 12:41:01 PM

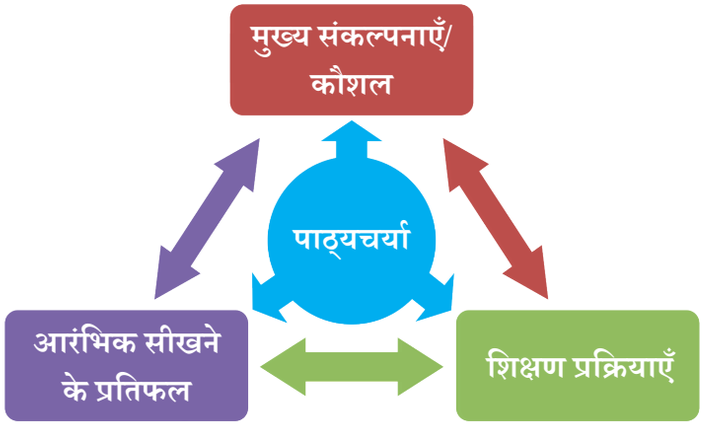


**लक्ष्य 3**— यह लक्ष्य बच्चों के संज्ञात्मक विकास पर प्रकाश डालता है जिसमें पर्यावरण जागरूकता और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, गणितीय सोच और समस्या समाधान शामिल है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब बच्चे पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया करते हैं, वह विभिन्न अवधारणाओं एवं कौशलों का विकास करते हैं। इस लक्ष्य का सार बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करता है जो उन्हें जिज्ञासु, सतत, अनुशासित, रचनात्मक और अभिव्यक्त करने वाला बनाए। इसके अलावा समस्या-समाधान, विवेचनात्मक चिंतन और तर्क से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए विविध प्रकार के अनुभव और गतिविधियाँ भी सुझायी गई हैं।

**मुख्य संकल्पनाएँ/कौशल**— प्रत्येक लक्ष्य के अंतर्गत, संप्रेषित की जाने वाली मुख्य संकल्पनाएँ या कौशल शिक्षकों के लिए दिए गए हैं, जिनका लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है। शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्या को संप्रेषित करते समय सुनिश्चित करें कि प्रत्येक संकल्पना या कौशल को विभिन्न तरीकों से संबोधित किया जाए।

**शिक्षण प्रक्रियाएँ**— शिक्षण प्रक्रियाएँ शिक्षकों द्वारा पाठ्यचर्या को इस प्रकार संप्रेषित करने में उपयोग में ली जाने वाली कार्यनीतियाँ हैं जिसमें बच्चे खोजबीन, जाँच-पड़ताल, समस्या-समाधान और विवेचनात्मक चिंतन द्वारा अपने अधिगम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट आरंभिक सीखने के प्रतिफल प्राप्त करते हैं।

**आरंभिक सीखने के प्रतिफल**— आरंभिक सीखने के प्रतिफल छोटे बच्चों के सीखने और विकास के लिए अपेक्षाएँ हैं। दूसरे शब्दों में, बच्चों को प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या जान लेना चाहिए और क्या करने योग्य हो जाना चाहिए। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को खेलने, अन्वेषण करने, खोज करने और समस्या-समाधान के लिए गतिविधियों, अनुभवों, विषयवस्तु को शिक्षण विधि में सम्मिलित करना चाहिए।

**नोट**— विस्तृत जानकारी के लिए *पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या* दस्तावेज़ देखें।

## 5.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम

भाषा बच्चों की पहचान और भावनात्मक सुरक्षा के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रहती है। यह उन्हें मुक्त रूप से अपने विचार और भावनाएँ व्यक्त करने में मदद करती है। भारत एक बहु-भाषायी देश है, जहाँ बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में अपने घर की भाषा के साथ आते हैं, जो हो सकता है कि पूर्व-प्राथमिक/राज्य की भाषा से भिन्न हो। अनुसंधान भी दर्शाता है कि जो बच्चे उनकी मातृभाषा में चलाए जाने वाले विद्यालय कार्यक्रम में जाते हैं, उन्हें बोधन/समझने की समस्याओं का कम सामना करना पड़ता है। बच्चों की मातृभाषा/घर की भाषा में पढ़ाया जाना अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह संकल्पना निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के साथ काम करने का सबसे उपयुक्त तरीका

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 21 16-Dec-2019 12:41:02 PM

है। यदि मातृभाषा के रूप में एक से अधिक भाषाएँ हैं, तो शिक्षिका कक्षा में अपनी बात कहने के लिए सभी भाषाओं की अनुमति दे सकती है और फिर धीरे-धीरे बच्चों को विद्यालय में उपयोग में ली जाने वाली भाषा से परिचित कराया जा सकता है।

## 5.4 आकलन

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आकलन सतत और व्यापक होना चाहिए तथा पाठ्यचर्या में नियोजित अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। आकलन में बच्चे के विकास का प्रेक्षण करना तथा प्रलेखन शामिल होना चाहिए, अर्थात उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति, दिन-प्रतिदिन के अनुभव, कला कार्य तथा अन्य उत्पादों में उनकी भागीदारी और उनका व्यवहार। क्षमताओं को पहचानने और प्रोत्साहित करने, उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और सीखने/विकासीय अंतरालों को संबोधित करने के लिए आकलन किया जाता है। विभिन्न साधनों (टूल्स) और तकनीकों जैसे उपाख्यानात्मक (ऐनेक्डोटल) रिकॉर्ड, जाँच सूची, पोर्टफोलियो, अन्य बच्चों के साथ पारस्परिक क्रियाओं को आकलन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। आकलन गैर-प्रतियोगी होना चाहिए।

## 5.5 अभिभावकों की भागीदारी

शिक्षकों, अभिभावकों और समुदायों का सहयोग होने से बच्चे अकादमिक, व्यावहारिक तथा सामाजिक दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह जानने के लिए कि बच्चों की रुचियाँ क्या हैं, शिक्षकों को चाहिए कि वे परिवार से संपर्क करें और अभिभावकों को उनके द्वारा घर पर करवायी जा सकने वाली गतिविधियों के बारे में सुझाव दें। बच्चों के घर पर किए जाने वाले कार्यों के नमूने या फोटो अभिभावकों द्वारा शिक्षकों के साथ साझा किए जा सकते हैं। विद्यालयों द्वारा अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं। पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम में गतिविधियाँ/क्षेत्र भ्रमण संचालित करने में मदद के लिए अभिभावक भी स्वयंसेवक के रूप में शामिल हो सकते हैं।

## 5.6 पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रौद्योगिकी

आज भारत में मोबाइल फ़ोन और पारस्परिक मीडिया के माध्यम से दूरस्थ प्रसंगों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश हो चुका है और यह छोटे बच्चे के हाथों में भी पहुँच चुकी है। यह परिस्थिति बच्चों के सीखने और विकास के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों उपलब्ध कराती है, क्योंकि बच्चे प्रौद्योगिकी की तरफ आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। यद्यपि भारत में इस क्षेत्र के बारे में कोई नीति नहीं है, अनुसंधान साक्ष्य सुझाते हैं कि छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग उपयोगी हो सकता है, यदि उसका उपयोग बच्चों के सीखने और विकास को विस्तारित करने के लिए किया जाए, जैसे— बच्चों को नयी शब्दावली और संप्रेषण के तरीकों से परिचित कराना, गत्यात्मक नियंत्रण, संकल्पनात्मक समझ, अनौपचारिक संबंध आदि।

यह अपेक्षा की जाती है कि लक्ष्य 3 में शामिल मुख्य संज्ञानात्मक कौशलों का विकास आने वाले वर्षों में बच्चों को नयी प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने की चुनौतियों का सामना करने लिए सुदृढ़ नींव उपलब्ध कराएगा। परंतु, यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी तभी लाभदायक है जब इसमें बड़े मध्यस्थता करें और ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें पारस्परिक संवाद हो। निष्क्रिय प्रौद्योगिकी, जो बच्चों के खेलने, खोजबीन करने, भौतिक गतिविधि और सामाजिक-पारस्परिक क्रिया का स्थान ले ले, उसे प्रत्येक स्तर पर हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों की सृजनात्मकता के प्रतिकूल हो सकती है। यह उनके संप्रेषण और संबंध बनाने के कौशलों को जिनका प्रारंभिक वर्षों में बहुत महत्व होता है, बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे टेलीविजन पर दी जाने वाली जन स्वास्थ्य

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 22 16-Dec-2019 12:41:02 PM

सलाह का अनुसरण करें और दो वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के लिए मीडिया के गैर-पारस्परिक क्रियात्मक और निष्क्रिय उपयोग पर रोक लगा दें और 2 से 5 वर्ष के बच्चों को इसके लिए हतोत्साहित करें। छोटे बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि यह बच्चों के सीखने और विकास के विस्तार के लिए योगदान करे, परंतु सामाजिक और संप्रेषण कौशलों, संबंध बनाने, समस्या-समाधान करने तथा बाहर खेलने के अवसरों को कम न करे।

**प्रौद्योगिकी का उपयुक्त उपयोग**

| क्या करें | क्या न करें |
|---|---|
| • कक्षा-कक्ष के भीतर अन्य बहुत से अधिगम/गतिविधि क्षेत्रों के साथ आई.सी.टी. को भी उपलब्ध कराएँ।<br>• उपकरणों के उपयोग एवं रख-रखाव के लिए दिशानिर्देश दें।<br>• बच्चों के लिए ऐसे ऐप्स (Apps) और खेलों का पता लगाएँ जो पारस्परिक क्रियात्मक, आयु उपयुक्त हों और अभिभावकों या देखरेख करने वालों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।<br>• पाठ्यचर्या की विषयवस्तु और अन्य खेल गतिविधियों को समृद्ध करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।<br>• अनुचित सॉफ़्टवेयर के प्रयोग से बच्चों को बचाएँ। | • स्क्रीन टाइम व्यक्तिगत पारस्परिक क्रिया का स्थान न ले।<br>• सकारात्मक व्यवहार के लिए पुरस्कार के रूप में कंप्यूटर, फ़ोन पर समय न बिताने दें।<br>• आई.सी.टी. के लिए मूल कला सामग्री, खेलने की गुँधी हुई मिट्टी, पुस्तकों तथा वास्तविक वस्तुओं और हाथ से करने वाले प्रयोगों का त्याग न करें। |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 23 16-Dec-2019 12:41:02 PM

अध्याय
6

# सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण

सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए अनिवार्य हैं। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जहाँ बच्चों को लगे कि वे सकुशल, सुरक्षित, खुश और आराम से हैं और जहाँ वे खोजबीन और सीखने का आनंद ले सकें। यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। सहायकों और अन्य मदद करने वाले कर्मचारियों को बच्चों की देखरेख करने और उनका ध्यान रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई बनाए रखने तथा बच्चों की सुरक्षा, सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए।

## 6.1 सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

### भीतरी और बाहरी क्षेत्रों की सुरक्षा

- कक्षा-कक्ष में आवागमन व चलने-फिरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यह स्थान अव्यवस्था व बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। यहाँ फिसलन वाले फ़र्श और मुड़ी-तुड़ी दरियाँ नहीं होनी चाहिए। फ़र्श समतल होना चाहिए। खेलने की जगह पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए , अर्थात बच्चों को बाहर भाग जाने और किसी गंभीर चोट से जख्मी होने से बचाएँ।
- फर्नीचर बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और उसमें नुकीले किनारे नहीं होने चाहिए। किनारों, कीलों और पेंचों की समय-समय पर जाँच की जानी चाहिए।
- दरवाज़े ऐसे न हों जिनमें अपने आप ताला या चिटकनी लग जाए।
- दरवाज़ों पर चिटकनियाँ बच्चों की पहुँच के बाहर होनी चाहिए।
- सभी खिड़कियों पर जाली लगी होनी चाहिए। खिड़कियाँ सुरक्षित होनी चाहिए और उनमें कोई काँच या अन्य पुर्जा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए।
- खेलने के सामान में कोई ऐसा ढीला/छोटा भाग नहीं होना चाहिए, जिसे बच्चा गलती से निगल ले।
- खेलने की सामग्री/उपकरणों पर ऐसा पेंट हो जो विषाक्त (ज़हरीला) न हो।
- बाहर खेलने की जगह पर तीखी चुभने वाली चीज़ें, हानिकारक पौधे, जानवर (आवारा कुत्ते, गाय आदि) और बेकार की वस्तुएँ या खराब उपकरण नहीं पड़े होने चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की चारदीवारी अवश्य हो, जिसमें ताले लग सकने वाला दरवाज़ा हो, ताकि अनजान लोगों, आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके।
- सफ़ाई करते समय, प्रतिदिन अंदर और बाहरी स्थानों का निरीक्षण किया जाना चाहिए कि कहीं कोई नुकीली वस्तु (सुई, पिन), पेड़ की डालियाँ, विषाक्त पौधे और कुकुरमुत्ते, मधुमक्खी या ततैये के छत्ते तो नहीं हैं, साथ ही झूलों के नीचे के स्थान की गहराई से जाँच की जानी चाहिए।

© NCERT not to be republished

- बाहर खेलने की जगह की नियमित सफ़ाई और रख-रखाव होना चाहिए।
- बाहरी और भीतरी उपकरणों और खेलने के स्थान का नियमित रख-रखाव होना चाहिए।
- बिजली के तारों और अन्य सामान (स्विच, प्लग आदि), बाहरी तथा भीतरी उपकरणों की सुरक्षा संबंधी जाँच नियमित रूप से और एक निश्चित अंतराल पर की जानी चाहिए। बिजली के प्लगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए और किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इन्हें बच्चों की पहुँच से परे लगाना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में या उसके आस-पास खुली नाली, उच्च वोल्ट वाले बिजली के तार, जलाशय नहीं होने चाहिए।
- संभावित खतरे या ज्वलनशील द्रवों जैसी वस्तुएँ, विषाक्त वस्तुएँ, साबुन और डिटर्जेंट आदि अपने मूल पात्रों पर अपने मूल लेबलों के साथ रखे जाने चाहिए। ये सब वस्तुएँ ऐसे स्थान पर रखी होनी चाहिए जो बच्चों के उपयोग में न आती हों और रसोईघर से दूर हों।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय द्वारा बच्चों को लाने-ले जाने की कोई भी व्यवस्था सुरक्षित तथा आरामदायक होनी चाहिए। वाहनों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी भी वाहन में ले जाए जाने वाले बच्चों की संख्या नियंत्रित होनी चाहिए।

**पहचान पत्र**

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय को चाहिए कि वह बच्चों और उनके अभिभावकों/संरक्षकों को पहचान-पत्र उपलब्ध कराए।
- जो भी लोग बच्चों को लेने या छोड़ने आएँ, उनके पास पूर्व-प्राथमिक विद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया गया उनका पहचान-पत्र होना चाहिए। सुरक्षा गार्ड उनके पहचान-पत्रों की हर बार (जब भी वे पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में प्रवेश करें या छोड़कर जाएँ) जाँच करें।
- सभी सहायक कर्मचारियों, ड्राइवरों और परिचारकों का उनके चयन से पहले पुलिस सत्यापन भी किया जाना चाहिए।
- बच्चों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

**ले जाने और छोड़ने की सुविधाएँ**

- अभिभावकों द्वारा बच्चों को छोड़ने और ले जाने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए। शिक्षक अपनी-अपनी कक्षाओं के साथ उस स्थान पर एक तरफ उपस्थित रहें और स्वयं अभिभावकों/सरंक्षकों से उनके बच्चों को ले लें या सौंपें।
- यह स्थान दरवाज़े/परदे या रस्से द्वारा प्रतिबंधित हो। किसी भी बाहरी व्यक्ति और अभिभावक को इस प्रतिबंधित क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- अभिभावकों को चाहिए कि वे उन व्यक्तियों के फोटोग्राफ़, नाम और पहचानने के दस्तावेज़ उपलब्ध कराएँ, जो बच्चे को ले जाएँगे/छोड़ने आएँगे। किसी भी अन्य व्यक्ति को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से बच्चे को ले जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।
- अच्छा हो कि कोई परिचारक (महिला) बस/कैब में बच्चों को लेने के पहले स्थान से छोड़ने के अंतिम स्थान तक उनके साथ रहे।
- मुख्य द्वार के दोनों ओर दर्शाए गए गतिरोधक और सड़क संकेत होने चाहिए जहाँ बच्चों को छोड़ा जाए और जहाँ से बच्चों को ले जाया जाए।

**क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न (सी.सी.टी.वी.)**

- प्रवेश द्वार, निकास द्वार, स्वागत क्षेत्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, खेल का मैदान, शौचालयों के बाहर और बरामदों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 25 16-Dec-2019 12:41:03 PM

- आवश्यकता और परिस्थिति अनुसार, सभी कक्षाओं में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा सकते हैं।
- टीवी स्क्रीन पर गतिविधियों पर लगातार नज़र रखने के लिए कम से कम एक सुरक्षा गार्ड रखा जाना चाहिए।
- संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि वे सी.सी.टी.वी. के फुटेज की नियमित रूप से जाँच करें।
- सी.सी.टी.वी. के फुटेज को साझा करने और मिटाने के नियम और उपनियम बनाए जाने चाहिए।
- यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी सी.सी.टी.वी. कैमरे काम कर रहे हों।
- सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाते समय बच्चों के निजी सरोकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

## बच्चों से दुर्व्यवहार और उनके अधिकार

- बच्चों के साथ शारीरिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और न ही उन्हें शारीरिक दंड दिया जाना चाहिए। उनकी किसी भी समय उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।
- बच्चों को उचित तरीके से अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। इस काम के लिए वेब पर उपलब्ध संसाधन (ई-विषयवस्तु, वीडियो/दृष्टांत), कठपुतली प्रदर्शन, आदि उपयोग में लिए जा सकते हैं।
- यदि शिक्षक और अभिभावक बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा का कोई संकेत पाते हैं तो उन सबको इसे पहचानने, समझने और उपयुक्त प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए।
- सभी शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम (लैंगिक उत्पीड़न से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012) और बाल अधिकारों की जानकारी दी जानी चाहिए।
- किसी भी दुर्व्यवहार के बारे में रिपोर्ट करने और उसके निवारण के लिए क्रियाविधि तय की जाए।

विभिन्नताओं का आदर करना और भेदभाव से बचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

## आपातकाल से निपटना

### *आपातकाल प्रोटोकॉल*

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में आपातकालीन संपर्कों की सूची होनी चाहिए जो स्टाफ को आसानी से उपलब्ध हो। इसमें अभिभावकों/संरक्षकों, अग्निशमन विभाग, क्लीनिक/अस्पताल, एम्बुलेंस तथा पुलिस विभाग के टेलीफोन नंबर शामिल होने चाहिए।
- सभी पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में आपालकाल की दशा में स्पष्ट लिखित कार्यविधियाँ होनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति में स्टाफ आवश्यक रूप से निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन करे—
  - ➢ एक स्टाफ सदस्य घायल बच्चे के पास रहे।
  - ➢ एक स्टाफ सदस्य एम्बुलेंस के लिए और बच्चे के अभिभावकों को टेलीफ़ोन करे।
  - ➢ यदि संभव हो तो बच्चे को सीधा अस्पताल पहुँचा दें।
  - ➢ कम से कम दो से तीन स्टाफ दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए विद्यालय में रुके रहें।
- सभी दुर्घटनाओं या घटनाओं को एक दुर्घटना या घटना रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जिसमें दुर्घटना/घटना का समय और प्रकृति तथा की गई कार्रवाई शामिल होनी चाहिए।
- जिन दुर्घटनाओं में चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता न हो, उनके बारे में उसी दिन अभिभावकों या संरक्षकों को सूचित किया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 26 16-Dec-2019 12:41:03 PM

- निम्नलिखित आपातकालीन संपर्क नंबरों को एक बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए और प्रत्येक कक्षा-कक्ष में इसे लगाया जाना चाहिए।

  आपातकालीन फ़ोन नंबर

  - प्राचार्य .....
  - डॉक्टर .....
  - अस्पताल या नज़दीकी आपातकाल केंद्र .....
  - एम्बुलेंस .....
  - अग्निशमन सेवाएँ .....
  - गैस एजेंसी .....
  - इलेक्ट्रीशियन .....
  - पुलिस स्टेशन .....
  - चाइल्ड हेल्पलाइन .....
  - अन्य .....

*नोट*—

(1) आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

(2) आपातकालीन संपर्क विवरणों के रख-रखाव हेतु नमूने के लिए परिशिष्ट II देखें।

***कीट नियंत्रण***

डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया और अन्य कीट बीमारियों और एलर्जी की रोकथाम के लिए समय-समय पर कीट नियंत्रण के उपाय करने चाहिए।

***आपदा प्रबंधन***

- प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के विकास और प्रमुख स्थानों पर चित्रात्मक भवन निकासी योजना प्रदर्शित की जानी चाहिए। साथ ही नकली आग और भूकंप अभ्यास/ भवन निकासी का अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए।
- निकास चिह्न द्वारा साधारण और आपात निकासों को आवश्यक रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए।

***अग्नि सुरक्षा***

उपयुक्त स्थलों पर अग्निशामक जैसा सुरक्षा उपकरण लगाया जाना चाहिए और जल तथा रेत की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध रहनी चाहिए।

***टेलीफ़ोन***

यदि मोबाइल फ़ोन सिग्नल उपलब्ध न हो रहे हों तो ऐसी स्थिति के लिए कक्षा से निकटतम दूरी पर टेलीफोन उपलब्ध रहने चाहिए।

***प्राथमिक सहायता किट की उपलब्धता***

प्राथमिक सहायता किट का नियमित रूप से नवीनीकरण किया जाना चाहिए और इसे एक ऐसे निर्दिष्ट स्थान पर रखा जाना चाहिए जो स्टाफ की तुरंत पहुँच में हो, परंतु बच्चों की पहुँच से दूर हो। नीचे किट में रखी जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में उपयोगी हो सकती है—

- पट्टियाँ
- चिपकने वाला प्लास्टर
- रोगाणुरहित (स्टेरलाइज़्ड) चिकित्सीय रूई
- गॉज (Gauge)
- थर्मामीटर
- कैंची
- चिमटी
- रोगाणुरोधक (एंटीसेप्टिक) मलहम
- पोटैशियम परमैंग्नेट
- जेनेशियन वॉयलेट,आदि।

## 6.2 स्वास्थ्य, स्वच्छता (हाइजीन) और पोषण

**स्वास्थ्य और टीकाकरण**

- वर्ष में कम से कम दो बार बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जानी चाहिए तथा उसके बाद की जाने वाली



© NCERT not to be republished

1_Chapter 4-6.indd 27 16-Dec-2019 12:41:03 PM

कार्रवाई की जानी चाहिए तथा जब कभी और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, परामर्श सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

- सभी बच्चों का टीकाकरण रिकॉर्ड अवश्य रखा जाना चाहिए।
- शारीरिक वृद्धि की त्रैमासिक मॉनिटरिंग की जानी चाहिए और बच्चों की ऊँचाई तथा भार का रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए।

**स्वच्छता पद्धतियाँ**

- यदि बच्चे कपड़े खराब कर लें या कक्षा में पेशाब कर दें तो उन्हें तुरंत साफ़ करना चाहिए। यदि वे कक्षा-कक्ष में उल्टी (वमन) कर देते हैं, तो उनके कपड़े तुरंत बदल देने चाहिए। इस आयु के बच्चों का नाक बहना एक बहुत सामान्य बात है, अत: रुमाल के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- अंदर और बाहर दोनों परिवेश साफ़-सुथरे होने चाहिए। प्रत्येक कक्षा में और बाहरी परिसर में बड़े ढक्कनदार कचरा-पात्र उपलब्ध रहने चाहिए।
- साबुन या लिक्विड सोप और हाथ पोंछने के लिए तौलिया उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वयस्कों द्वारा हाथ धोने का उपयुक्त तरीका अपनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इसे बच्चों के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- 3–4 वर्ष के बच्चे के शौचालय जाते समय उसके साथ एक सहायक/आया रहनी चाहिए।

**अनुपूरक पोषण**

***अनिवार्य***

- बच्चों के लिए प्रतिदिन संतुलित अनुपूरक पोषण का प्रावधान होना चाहिए।
- भोजन करने का स्थान साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए।

***वांछनीय***

- पोषक संतुलित आहार पकाने के लिए एक अलग रसोईघर होना चाहिए (यदि पूर्व-प्राथमिक केंद्र पर पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है)।
- बच्चों को दोपहर से पहले नाश्ता देने के समय (फल खाने का समय) की योजना होनी चाहिए।

**नोट**— शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में उनके अभिभावकों से नियमित रूप से बातचीत करते रहें।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 4-6.indd 28 16-Dec-2019 12:41:03 PM

अध्याय
7

# रिकॉर्ड, रजिस्टर और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के प्रभावी प्रबंधन के लिए, सभी आवश्यक रिकॉर्ड तथा रजिस्टर व्यवस्थित रूप से बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इनके रख-रखाव को सहज बनाने के लिए इनका प्रारूप सरल होना चाहिए। रिकॉर्डों और रजिस्टरों को भरना इतना जटिल नहीं होना चाहिए कि कार्यक्रम के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए प्रयास कम हो जाएँ। यहाँ नीचे कुछ रिकॉर्ड और रजिस्टर का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक केंद्र द्वारा अवश्य बनाया जाना चाहिए और नियमित रूप से इनका इस्तेमाल व रख-रखाव करना चाहिए।

## 7.1 रिकॉर्ड

### प्रवेश रिकॉर्ड

प्रवेश रिकॉर्ड, शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर के वातावरण, स्वास्थ्य स्थिति, आवश्यकताओं और योग्यताओं आदि को जानने में मदद करते हैं, जिससे कि बच्चे को अपनी वृद्धि और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसमें शामिल है—

***प्रवेश/पंजीकरण फॉर्म***— अभिभावक जब पहली बार अपने बच्चे के पंजीकरण के लिए पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से संपर्क करते हैं, तो उन्हें एक प्रवेश फॉर्म दिया जाता है। यह द्विभाषी (स्थानीय/क्षेत्रीय भाषा, अँग्रेज़ी) में होना चाहिए ताकि अभिभावक उसे आसानी से पढ़ सकें और जानकारी दे सकें। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अधिकारी या शिक्षक को चाहिए कि वह पंजीकरण के समय प्रत्येक बच्चे के पंजीकरण की तिथि, प्रवेश संख्या और अनुक्रमांक संख्या तथा संपर्क विवरण रिकॉर्ड करे।

***बच्चे का स्वास्थ्य रिकॉर्ड***— प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चे के टीकाकरण संबंधी विवरण, एलर्जी (यदि हो), जारी दवाइयाँ, आदि शामिल होनी चाहिए। किसी बीमारी से पीड़ित बच्चे के चिकित्सीय विवरण की प्रति रिकॉर्ड और संदर्भ हेतु अवश्य रख ली जानी चाहिए।

### प्रगति रिकॉर्ड

प्रगति रिकॉर्ड एक दी गयी अवधि में बच्चों की विविध विकासात्मक गतिविधियों में प्रगति का रिकॉर्ड होता है जो बच्चों के कार्य/पोर्टफोलियो और शिक्षक के प्रेक्षणों पर आधारित होता है।

**पोर्टफ़ोलियो (जानकारी संग्रह)**— यह बच्चों के कार्य और उपलब्धियों का संग्रह होता है। इसमें बच्चे का नाम, व्यक्तिगत विवरण, बच्चे के साथ की गई रोचक चर्चाओं पर टिप्पणियाँ, फोटोग्राफ़, नेटवर्क, चित्रकारी और लिखने के नमूने, बच्चे द्वारा बनाए मॉडलों के फोटोग्राफ़, खेल में बच्चे की भागीदारी, भूमिका निर्वाह में बच्चे की भागीदारी आदि शामिल होता है।

प्रगति रिकॉर्ड का विश्लेषण यह देखने के लिए किया जा सकता है कि क्या बच्चा अपनी आयु के अनुसार विकसित हो रहा है या नहीं। तदनुसार उस बच्चे के साथ काम करते समय शिक्षक अपनी तकनीकों को परिवर्तित कर सकता है

© NCERT not to be republished

और यदि आवश्यक हो, तो विशेष सहायता और सहारा दिया जा सकता है।

### शिक्षक डायरी

शिक्षकों को एक डायरी बना कर रखनी चाहिए जिसमें दैनिक गतिविधियों की योजना का विस्तृत विवरण हो। उसे योजना बनानी होगी कि कैसे खेल और गतिविधियों को साथ मिलाया जाए; इसके लिए क्या सामग्री चाहिए; और पाठ्यचर्या संप्रेषण के लिए किस प्रकार की पारस्परिक क्रियाओं का नियोजन किया जाना है। प्रत्येक दिन के अंत में, उन्हें चाहिए कि वह अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं, जैसे— क्या योजना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुई या नहीं? क्या योजना अनुसार बच्चे भाग ले पाए? क्या समय पर्याप्त था? क्या कोई कठिनाइयाँ सामने आईं? आदि, पर विचार-विमर्श करें और अपनी भावी गतिविधियों में परिवर्तन करे या तदनुसार उन्हें नियोजित करें।

### आने वालों का रिकॉर्ड

प्रत्येक आने वाले का रिकॉर्ड पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के प्रवेश द्वार पर रखे रजिस्टर में रखा जाना चाहिए। रजिस्टर के रिकॉर्ड में (i) आने वाले का नाम (ii) आने का समय और जाने का समय (iii) पता (iv) फ़ोन नंबर (v) आने का उद्देश्य और (vi) व्यक्ति का नाम जिससे मिलना है, शामिल होना चाहिए।

### फ़ीडबैक (प्रतिपुष्टि) रिकॉर्ड

आने वाले अधिकारियों, मेहमानों, अनुसंधानकर्ताओं और अभिभावकों की प्रतिपुष्टि, प्रेक्षणों/अनुशंसाओं का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर होना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बारे में उनकी प्रतिपुष्टि या अनुभव को इस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के संचालन के सुधार हेतु बहुत मददगार हो सकता है।

### विविध रिकॉर्ड

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रतिदिन की सूचना या विवरण जैसे— शिक्षक-अभिभावक सभा का रिकॉर्ड, लोगों के टेलीफ़ोन नंबर जिनसे कभी-कभी काम पड़ता है, आदि को रिकॉर्ड करने के लिए विविध रिकॉर्ड रजिस्टर बनाये जा सकते हैं। इसमें अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित वांछित जानकारी और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची आदि रखी जा सकती है। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम के रिकॉर्ड सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होने चाहिए।

## 7.2 रजिस्टर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर बनाकर रखे जाते हैं, जैसे— स्टॉक रजिस्टर, लेखा रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर, आदि। शिक्षकों को इनके रख-रखाव की जानकारी होनी चाहिए।

### शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर

स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण होता है। उन्हें उपस्थिति रजिस्टर में प्रतिदिन हस्ताक्षर करने चाहिए और विद्यालय आने और छोड़ने का समय लिखना चाहिए। यह अनुशासन (समय की पाबंदी और नियमितता दोनों) व हिसाब-किताब रखने (वेतन) आदि के लिए आवश्यक है। प्रविष्टियाँ स्याही से लिखी होनी चाहिए और रिक्त स्थान नहीं छोड़े जाने चाहिए। यदि संभव हो तो सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ऑनलाइन बायोमेट्रिक शिक्षक उपस्थिति पद्धति काम में ली जानी चाहिए।

### बच्चों की उपस्थिति का रजिस्टर

बच्चों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुपस्थिति के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 30 16-Dec-2019 12:41:19 PM

**स्टाफ प्रोफाइल रजिस्टर/सर्विस बुक**

स्टाफ प्रोफाइल का रजिस्टर या जिसे 'सर्विस बुक' कहते हैं, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बनाकर रखी जानी चाहिए। इसमें शिक्षकों की विस्तृत जानकारी जैसे— नाम, शैक्षिक योग्यताएँ, अनुभव, घर का पता, टेलीफ़ोन नंबर, ई-मेल आई.डी., परिवार के सदस्यों की संक्षिप्त जानकारी और उनके टेलीफ़ोन नंबर होते हैं। रिकॉर्ड में ताज़ा जानकारियाँ जैसे— शिक्षक द्वारा निभाए गए उत्तरदायित्व, पाठ्यक्रमों (यदि कोई हो) के लिए प्रतिनियुक्ति, जिन संगाष्ठियों, कार्यशालाओं में उसने भाग लिया; सेवाकालीन उपलब्धियाँ, चिकित्सीय समस्याएँ (यदि कोई हैं), सेवाकाल में कभी विशेष छुट्टी के लिए अर्जी दी हो, ऑफिस से कोई ऋण स्वीकृत हुआ, आदि जोड़ते रहना चाहिए।

**लेखा रजिस्टर**

लेखा रजिस्टर में इकट्ठी हुई फ़ीस, पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए खरीदी गई वस्तुओं का खर्च, बच्चों को दिए जाने वाले अनुपूरक भोजन पर किया गया खर्चा, कपड़ों जैसे— तौलियों, परदों, मेज़पोश, चादरों आदि की धुलाई का खर्चा, किसी समारोह में उपयोग में ली गई पोशाकों का किराया, आदि का विवरण शामिल हो सकता है। इसकी प्रधानाध्यापक/प्राचार्य और प्रशासक द्वारा नियमित जाँच होनी चाहिए।

**स्टॉक रजिस्टर**

प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के लिए एक स्टॉक रजिस्टर होना अनिवार्य है। इसमें सभी वस्तुओं या सामान जैसे सहायक उपकरणों, खिलौने, फर्नीचर आदि की विस्तृत सूची होनी चाहिए।

## 7.3 पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कैलेंडर

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय अपना कैलेंडर नियोजित और विकसित कर सकता है, जिसमें आगामी विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की संभावित तिथियों का उल्लेख होना चाहिए। यह अकादमिक सत्र के प्रारंभ में विकसित किया जाना चाहिए। इसकी प्रस्तावित विषयवस्तु निम्नलिखित है—

- सामान्य, स्थानीय और गज़टेड छुट्टियों (राजपत्रित अवकाश) की जानकारी
- अभिभावक-शिक्षक बैठकों की तिथियाँ
- क्षेत्र भ्रमण/सैर, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि की तिथियाँ
- ई.सी.सी.ई./पूर्व-प्राथमिक विद्यालय/वार्षिक दिवस आदि की तिथियाँ।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 31 16-Dec-2019 12:41:19 PM

अध्याय
8

# समन्वयन और अभिसरण

छोटे बच्चों के अधिकतम विकास और वृद्धि के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सेवाएँ देने के लिए लक्ष्यों का अभिसरण और विभिन्न क्षेत्रों, जैसे— स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण द्वारा समग्र बाल विकास की साझा समझ होनी चाहिए। सभी हितधारकों, जैसे— नीति नियोजकों, प्रशासकों, क्रियाान्वयन कर्ताओं, प्रदाताओं, अभिभावकों और समुदाय के बीच ऊर्ध्व अभिसरण (vertical convergence) होना चाहिए और साथ ही विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा विभागों के उप-विभागों, चिकित्सा, स्वास्थ्य, देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के विभिन्न घटकों को सँभालने वालों में सम-स्तर अभिसरण (horizonal convergence) होना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न कार्यों के लिए विकासात्मक समन्वयन और अभिसरण महत्वपूर्ण है।

## 8.1 प्रशासनिक

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम को लागू करने की योजना, प्रबंध और समीक्षा के लिए एक उपयुक्त समन्वयन और अभिसरण पद्धति स्थापित करनी चाहिए। सभी संबंधित मंत्रालय, जैसे— मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, जल मंत्रालय, शहरी विकास और पंचायती राज मंत्रालय, इसके अंग होने चाहिए।
- कार्यक्रम लागू करने के लिए उपयुक्त नियोजन और समय पर वित्तीय संसाधनों जैसे— जनशक्ति, आधारभूत संरचना और शिक्षण-अधिगम सामग्री के आवंटन को राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्यालय शिक्षा अधिकारियों और आई.सी.डी.एस. अधिकारियों के बीच राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर नियमित अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित होनी चाहिए और इनमें आधारभूत स्तर पर सुधार के बारे में कार्रवाई बिंदु निकलने चाहिए।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन.सी.टी.ई.), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.), राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एन.आई.पी.सी.सी.डी.), राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.ई.आर.टी.), डी.आई.ई.टी., विश्वविद्यालय, गैर-सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) और निजी क्षेत्र, टेक्निकल पार्टनर्स आदि एजेंसियों जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में तकनीकी विशेषता और अनुभव हैं, का एक संसाधन समूह बनाया जाना चाहिए जो बच्चों के साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान करने और

© NCERT not to be republished

संसाधन सामग्री तैयार करने में मदद कर सके और पाठ्यचर्या विकसित कर सकें।

- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ई.सी.सी.ई. परिषद का गठन किया जाना चाहिए जैसाकि ई.सी.सी.ई. राष्ट्रीय नीति 2013 में दर्शाया गया है।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में या बिल्कुल पास स्थित होने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक के समय का प्राथमिक विद्यालय के साथ सही तालमेल होना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय शिक्षा घटक का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए।
- प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों में से एक को सशक्त संबंध विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण और सहज पारगमन (पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक स्कूल में) सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी बना देना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों में संसाधनों को साझा किया जाना चाहिए। वार्षिक दिवस, खेलकूद दिवस, प्रात:कालीन सभा आदि जैसी गतिविधियाँ मिलकर की जानी चाहिए।

## 8.2 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- सभी अधिकारियों और चयनित निकायों तथा विभिन्न नागरिक समाज निकायों के सदस्यों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पर अभिविन्यास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अधिगम और विकास के मध्य संबंधों पर समझ बनाने के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए।
- क्षमता निर्माण और पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, डी.आई.ई.टी., एम. एल. टी. सी., आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान की विभिन्न संसाधन एजेंसियों की भी साझेदारी होनी चाहिए।
- क्लस्टर संसाधन केंद्र, ब्लाक संसाधन केंद्र, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइज़रों आदि द्वारा ऑनसाइट मार्गदर्शन तथा अकादमिक मदद उपलब्ध करायी जानी चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षकों, आँगनवाड़ी कार्यकताओं और अन्य संबंधित अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, डी.आई.ई.टी., बी.आर.सी., एम.एल.टी.सी., आँगनवाड़ी प्रशिक्षण केंद्र और सी.आर.सी. की आधारभूत संरचनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

## 8.3 निगरानी और देखरेख

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं और कार्यप्रणालियों की संयुक्त निगरानी और देखरेख होनी चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को मौके पर ही शिक्षकों को मार्गदर्शन देना चाहिए।
- प्रधानाध्यापक को सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसर में ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसकी देखरेख न हो।
- शिक्षकों और सहायकों को चाहिए कि वे विभिन्न खेल क्षेत्रों का अवलोकन तथा देखरेख करें।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अभिभावक, विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) के सदस्य होने चाहिए। इस समिति के सदस्यों को पूर्व-प्राथमिक कार्यक्रम की

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 33 16-Dec-2019 12:41:19 PM

देखरेख करनी चाहिए और इसके सुचारु संचालन में मदद करनी चाहिए।

- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों, क्षेत्रीय या मंडल स्तरीय शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और राज्य शिक्षा अधिकारियों को चाहिए कि वे नियमित रूप से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय परिसरों का दौरा करें और पूर्व-प्राथमिक विद्यालय गतिविधियों की गुणवत्ता का अवलोकन करें। सभी अधिकारियों को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम का उद्देश्य समझना चाहिए।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय निरीक्षक को चाहिए कि वह पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों का 3 माह में कम से कम एक बार दौरा करें और जिला शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करें। दौरे अर्थपूर्ण होने चाहिए और उन्हें प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त समय बिताना चाहिए। इन दौरों के समय, शिक्षकों का अभिविन्यास किया जाना चाहिए और उन्हें पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में हुए नये परिवर्तनों की जानकारी दी जानी चाहिए।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 34 16-Dec-2019 12:41:19 PM

# संदर्भ


एम.एच.आर.डी. 1986. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

——. 1992. *प्रोगाम ऑफ एक्शन*. शिक्षा विभाग, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

——. 2010. नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम 2009. *भारत का राजपत्र*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

——. 2013. स्टेटस रिपार्ट— पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक/शिक्षा के लिए *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार*. सी.ए.बी.ई. (केब) समिति, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

एम.डब्ल्यू.सी.डी. 2013. *राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) नीति*. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.

——. 2013. *राष्ट्रीय ई.सी.सी.ई. पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

——. 2013. *ई.सी.सी.ई. के लिए गुणवत्ता मानक*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

एन.सी.टी.ई. 2009. *शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा— व्यावसायिक और मानवीय शिक्षक तैयार करने की दिशा में*. नयी दिल्ली.

रा.शै.अ.प्र.प. 1996. *प्री-स्कूल के लिए न्यूनतम विनिर्देश*. नयी दिल्ली.

——. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

——. 2006. *ई.सी.ई. पर राष्ट्रीय फोकस समूह का आधार पत्र (3.6)*.

——. 2016. *निजी प्ले स्कूलों के लिए नियामक दिशानिर्देश*. शिक्षा प्रभाग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.


© NCERT not to be republished

## परिशिष्ट I

## प्रस्तावित खेल सामग्री और उपकरणों की सूची

| कार्यक्षेत्र | सामग्री और उपकरण |
|---|---|
| **शारीरिक और गत्यात्मक विकास** | **स्थूल गत्यात्मक कौशल**<br>बड़े आकार के ब्लॉक, पहियेदार खिलौने, चढ़ने वाले उपकरण, टायर, विभिन्न आकारों की गेंदें, संतुलन छड़ें, सीढ़ियाँ, जंगल जिम्स, टायर संरचनाएँ, सरकने के लिए खेल सुरंगें, फिसल पट्टियाँ, झूले, सी-सॉ, लटकने वाले बार, धकेलने और खींचने वाले खिलौने, तीन पहियों वाली साइकिलें, खिलौना कारें, ट्रक, वायुयान, बीन बैग्स, हुला हूप्स, रस्से, संतुलन के तख्ते आदि। |
| | **सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल**<br>बटन फ्रेम, तस्में बाँधने के लिए खिलौने, माला पिरोने के लिए मनके, निर्माण ब्लॉक, पहेलियों वाले फ्रेम, गाँठ बाँधने की युक्तियाँ, आपस में गुँथने वाले ब्लॉक, लेगो ब्लॉक, जिप वाले फ्रेम, सिलने के कार्ड, जिओ बोर्ड, फोम के ब्लॉक, छलनियाँ, खुट्टल कैंची, बुनाई के लिए कार्ड पीटने वाले खिलौने, रेत के औज़ार, खोखले ब्लॉक, सिलाई के कार्ड, धागा लपेटने के लिए चरखी, आई-ड्रापर आदि। |
| **सामाजिक और भावात्मक विकास** | क्रियाकलाप सामग्री युक्त डिब्बे, जिसमें बच्चे के अनुभव से जुड़ी सामग्री शामिल हो सकती है, जैसे— डॉक्टर किट, घर के रख-रखाव संबंधी सामग्री, खिलौने टेलीफ़ोन, किराए की वस्तुएँ, कठपुतलियाँ और कठपुतली मंच, खिलौना, रुपये-पैसे, सहायकों व गुड़ियाओं के चित्र, नाम पहेलियाँ, नाम कार्ड, गुड़िया परिधान, वाद्य यंत्र, पुराने टेलीफ़ोन, पुराने कैमरे आदि। |
| **संज्ञानात्मक विकास** | • संवेदी सामग्री (स्पर्शी बैग, स्पर्श कार्ड, बुनावट युक्त पुस्तकें, आदि), आवर्धक लेंस, डोमिनो, विभिन्न आकृतियाँ, रंगीन कार्ड, मैंचिग खेल, निर्माण ब्लॉक प्रॉप्स (रुकने के संकेत, खिलौने ट्रक आदि), हस्तकौशल युक्त सामग्री (पहेलियाँ, आपस में लिखा-पढ़ी हेतु सामग्री, बिंगों प्रकार के खेल, रंगीन लोटो, धारीदार आकृतियाँ, पिंक टावर (मॉन्टेसरी), पेग बोर्ड, नट और स्क्रू, इनसेट बोर्ड, जिओ बोर्ड, रंगीन डोमिनोज, आकृति डोमिनोज, नंबर डोमिनोज, स्टैकिंग और नेस्टिग खिलौने, गिनती की पुस्तकें, क्रम से जमाने हेतु वस्तुओं के सेट (सबसे कम ऊँचाई से सबसे अधिक ऊँचाई वाला, सबसे बड़े से सबसे छोटा, नंबर रॉड्स, ऐबेकस, अलग किए जाने वाले खिलौने), पलड़ेदार तराजू, बुनी हुई सामग्री, पत्तियाँ , पत्थर, कंकड़, तिनके, फूल, चित्रयुक्त कार्ड, जल से खेलने वाले खिलौने, दर्पण।<br>• छाँटने और गिनने के लिए वास्तविक वस्तुएँ (बटन, शंख, चाबियाँ, कंकड़, बीज, नट्स)<br>• खेलने के रुपये-पैसे, तुला, गिनती की पुस्तकें, ध्वनि जार, गंध जार, चुंबक, कीप, ताले और कुंजियाँ, बीज, छोटे बर्तन और गमले की मिट्टी।<br>• क्रमबद्ध चिंतन कार्ड्स, तार्किक कार्ड्स और अन्य ऐसी सामग्री जिससे बच्चे को सोचने, करने और सीखने को मिले। |
| **रचनात्मक विकास** | भिन्न प्रकार के रंग/पेंट, भिन्न आकारों और बुनावटों वाले कागज़, स्केच पेन, मार्कर, मिट्टी (प्लास्टीसीन), कुम्हार की मिट्टी और घर पर तैयार गुँधा हुआ आटा), मिलाने हेतु कटोरे, गोंद, कपड़े के टुकड़े, बुनने के फ्रेम, धार-रहित कैंची, मोटे क्रेयॉन, लंबे हत्थों वाले ब्रश, धागा/ऊन, बेलन और कुकिंग कटर, रंगीन चॉक, स्पॉन्ज, कागज़ की प्लेट, वाटर कलर, नट और बोल्ट, प्लास्टिक की दबने वाली बोतलें, अंडों के कार्टन, ईजेल (लकड़ी के ढाँचे), खुले शेल्फ, संगीत और गत्यात्मक गतिविधियों के लिए बजाने के उपकरण (मंजीरे, खड़ताल, घंटियाँ, ज़ाइलोफ़ोन), छपाई के लिए सामग्री (काँटा, बेलन, चरखी, सब्जियाँ, ब्लॉक), पहनने के कपड़े, तिनके, लकड़ी की छीलन और अन्य ऐसी सामग्री जिसे बच्चे अपनी दुनिया प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में ले सकें। |

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 36 16-Dec-2019 12:41:20 PM

| | |
|---|---|
| **भाषा और साक्षरता विकास** | **पढ़ने की तैयारी हेतु सामग्री**<br>संकल्पना पुस्तकें, चित्रयुक्त पुस्तकें, चॉक बोर्ड, जानी-पहचानी वस्तुओं पर शब्दरहित चित्रों वाली पुस्तकें, कहानियों की पुस्तकें, जानकारी देने वाली पुस्तकें, कठपुतलियाँ, अँगुली कठपुतलियाँ, पहनने के कपड़े, कहानियों और तुकबंदीयुक्त लघु कविताओं (राइम्स) की सी.डी. और डी.वी.डी., भाषायी खेल, भाषायी अनुभव के लिए चित्रयुक्त चार्ट, उभरे अक्षर, चित्र डोमिनोज, अक्षर-चित्र डोमिनो, अक्षर-चित्र पहेलियाँ, कहानी के पात्रों की पहेलियाँ, कहानी कार्ड, अँगुलियों के खेल। पढ़ने की तैयारी संबंधी सामग्री-चित्र, लोटो खेल जिसमें चित्रों को शब्दों से नामांकित किया गया हो, चित्रमय शब्दकोश, नाम पहेलियाँ, सड़क और परिवहन संकेत, हस्त-कौशलयुक्त अक्षर सामग्री, पुराना टाइपराइटर, कंप्यूटर, विभिन्न विषयों पर बातचीत के चार्ट, सभी तरह की वस्तुओं, पौधों, जंतुओं और लोगों के चित्र, लयात्मक ध्वनि कार्ड, अक्षर बोर्ड, पात्रों के कटआउट युक्त फलानेल बोर्ड, अक्षर पुस्तकें, शिक्षक और बच्चे द्वारा रचित पुस्तकें।<br>**लिखने की तैयारी हेतु सामग्री**<br>जादुई स्लेट (जिसमें थोड़े समय पश्चात रंग उड़ जाता है), रनिंग स्मॉल चॉक बोर्ड, चॉक, रेत के ट्रे, लिखने के साँचे (वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और लौंग की आकृति के), नाम कार्ड, साक्षरता क्षेत्र में दीवार पर लगे अक्षर चार्ट, बच्चों द्वारा लिखे गए नमूनों को प्रदर्शित करने के लिए सूचना पट्ट, विविध प्रकार के सफ़ेद और रंगीन कागज़, मोटे क्रेयॉन, मोटे पेंसिल, रबड़, अक्षरों का छपा हुआ सेट और स्टाम्प पैड, मोटे कपड़ों का भंडार और किताबों के प्रदर्शन हेतु रैक, पुरानी रबड़ मोहर। |

**नोट**— शिक्षकों को चाहिए कि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध कम कीमत या बिना कीमत की, शिक्षक द्वारा बनायी गई संदर्भित सामग्री और खिलौनों का उपयोग करें, जो आसानी से उपलब्ध हों।

© NCERT not to be republished



1_Chapter 7-9.indd 37 16-Dec-2019 12:41:20 PM

## परिशिष्ट II

## आपातकाल संपर्क बनाए रखने के लिए नमूना

| क्रम सं. | बच्चे का नाम | माता का नाम | जन्म तिथि | पिता का नाम | संपर्क नंबर | आपातकाल में संपर्क हेतु नाम | आपातकाल में संपर्क हेतु दूरभाष नंबर | एलर्जी / दवाइयाँ | डॉक्टर का नाम | डॉक्टर का संपर्क नंबर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

© NCERT not to be republished

1_Chapter 7-9.indd 38 16-Dec-2019 12:41:20 PM

प्यारे बच्चो!

यदि कोई आपको अनुचित ढंग से स्पर्श करे और यह स्पर्श आपको अच्छा न लगे तो, आप चुप न रहें। आप

1. स्वयं को इसका दोष न दें;
2. इस बारे में किसी ऐसे व्यक्ति को बताएँ जिस पर आप भरोसा करते हो;
3. आप **पॉक्सो ई.बॉक्स** के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस बारे में सूचित कर सकते हैं।

**जब आपको कोई अनुचित ढंग से स्पर्श करता है तो आपको बुरा लग सकता है, आप दुविधाग्रस्त और असहाय अनुभव कर सकते हैं**
**आपको ''बुरा'' अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है**

**इस बटन को दबाएँ**

**पॉक्सो ई.बॉक्स NCPCR@gov.in पर उपलब्ध है।**

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

**यदि आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और आप मुसीबत में हैं अथवा दुविधाग्रस्त हैं अथवा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है अथवा संकट में हैं अथवा किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं...**

***1098 पर कॉल करें...क्योंकि कुछ अच्छे नंबर जीवन बदल देते हैं।***

**चाइल्ड लाइन**
**1098**
**रात-दिन**

**चाइल्ड लाइन 1098 - विपत्ति में बच्चों के लिए 24 घंटे नि:शुल्क राष्ट्रीय आपातकालीन फ़ोन सेवा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से चाइल्ड लाइन इंडिया फ़ाउंडेशन की पहल है।**

नए समाज की ओर
Towards a new dawn

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

© NCERT not to be republished

Cover 2 and 3.indd All Pages

© NCERT not to be republished

13203
विद्यया ऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5292-216-1